छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

2010-11

मान. डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

मंत्रालय
रायपुर, छत्तीसगढ़
MANTRALAYA
RAIPUR CHHATTIGARH
Ph. (O) 0771-2221000-01
Fax : 0771-2221306
Ph. (R) 0771-2331000-01

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का नवीन वार्षिक प्रतिवेदन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सार्थक पहल एवं रचनात्मक कार्यों का ब्यौरा हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतू जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उसके प्रति समाज में जागरुकता का वातावरण बनाने में आयोग अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग आयोग अपने गठन के उद्देश्य के प्रति गंभीर एवं सजग रहते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सजग प्रहरी के रुप में शासन के साथ अपनी सार्थक पहल के क्रियान्वयन में अपनी रचनात्मक सक्रियता को जीवन्त रखे । आयोग के सृजनात्मक-दूरदर्शी कार्यो को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने हेतू छत्तीसगढ़ शासन कृत्त संकल्पित है ।

प्रतिवेदन के सफल प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ ।

डॉ. रमन सिंह

केदार कश्यप

मंत्री

छ.ग. शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, विकास, विभाग

एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

अर्द्ध. शास. पत्र क्र. 341

निवास : सी-3, फारेस्ट कालोनी,

राजातालाब, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (नि.) 2331032, 2331033

कार्यालय : 4080906, 2221106

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन करने जा रहा है।

अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में आयोग द्वारा राज्य के पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु किये गये कार्य का प्रयास अभिनव है ।

शुभकामनाओं सहित....।

(केदार कश्यप)

मंत्रालयः कक्ष क्र. 350, डी.के.एस. भवन,
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
निवास : D-7, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष : 0771-4025526 (कार्या.)
: 0771-4042205 (नि.)

महेश गागड़ा
संसदीय सचिव
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास,
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रकाशित किये जा रहे चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामानएं ।

मैं आशा करता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के हित में किये जा रहे कार्यों की जानकारी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को प्राप्त होगी जो उनके लिये सार्थक सिद्ध होगी ।

प्रतिवेदन के सफल प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ ।

(महेश गागड़ा)

मनोज कुमार पिंगुआ
भा.प्र.से.
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा एवं अनु. जा. विकास विभाग
202, मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष : 0771-4268362 (कार्या.)
फैक्स : 0771-2221202 (कार्या.)
0771-2583949 (नि.)
E-mail : manojpingua@gmail.com

संदेश

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं । राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग समाज के लिए एक सजग हित प्रहरी की भूमिका का सार्थक निर्वहन कर रहा है । आयोग द्वारा जन-कल्याणार्थ के हित में प्रसारित विभिन्न नियम, उपनियम एवं शासन के आदेशों का व्यापक स्तर पर प्रसार करना सराहनीय पहल है ।

राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में जागरुकता का वातावरण निर्मित करने व अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति विषयक अनेक जातियों के मात्रात्मक एवं उच्चारण संबंधी त्रुटियों में आवश्यक सुधार करने तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के हितार्थ संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में यह वार्षिक प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण संग्रह सिद्ध होगा।

यह हर्ष का विषय है कि, आयोग अपने अल्प समय में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के हितार्थ कार्यों के प्रति निरंतर अग्रसर एवं उत्साहित है ।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ.....!

भवदीय

(मनोज कुमार पिंगुआ)

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनु. जाति पिछड़ा वर्ग
एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग
रायपुर (छ.ग.)

संदेश

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं । मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि, नवगठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रायपुर ने अपना चतुर्थ कार्यकाल पूर्ण कर लिया है । प्रतिवेदन में समाहित विषय सामाग्री अन्य पिछड़े वर्ग हेतु बहु उपयोगी सिद्ध होगी ।

इन्हीं शुभकामनाओं के साथ...!

एम.एस. परस्ते

एल.आर. कुर्रे
सदस्य सचिव
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

कार्यालय :
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
21-सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे,
रायपुर (छ.ग.)
कार्यालय : 0771-2420352

प्राक्कथन

- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने गठनोपरांत अपने मूल उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु कृत-संकल्पित रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यह चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे इस बात का संतोष है कि, आयोग अपनी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के हितों के प्रति सदैव सजग रहते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन का पालन सच्चे मन से करता रहा है।
- छ.ग. राज्य के गठनोपरांत 31 मार्च 2011 तक राज्य की 17 जातियाँ अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों की अनुसूची में सम्मिलित की जा चुकी है, जिनका विवरण इस प्रतिवेदन में दिया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा 31 मार्च 2011 तक किए गए संशोधन का समावेश करके सम्मिलित की गई पिछड़े वर्ग जातियों की संशोधित सूची का विवरण भी इस प्रतिवेदन में प्रकाशित की जा रही है।
- भारत शासन के केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े-वर्गों में सम्मिलित जातियों/ समुदाय की सूची (जो कि भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में 18 अगस्त 2010 में प्रकाशित हुई है) का उल्लेख इस वार्षिक प्रतिवेदन में विशेष रुप से किया है।
- प्रस्तुत प्रतिवेदन में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी उन दिशा-निर्देशों व पत्रों का समावेश किया गया है जो कि समय-समय पर अन्य पिछड़ा वर्गों के हितार्थ जारी हुए है। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमीलेयर के प्रति राज्य शासन के निर्धारित मापदण्ड एवं आयोग के सुझावोपरांत क्रीमीलेयर के वेतन / संपत्ति निर्धारण करने के लिए आय गणना संबंधित पत्र का भी उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है।
- प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सामान्य परिचय एवं आयोग के गठनोपरांत निराकृत शिकायतों का वर्षवार सांख्यिकीय विवरण एवं आयोग के प्रमुख अनुसंधान तथा भ्रमण कार्यक्रम का भी ब्यौरा दिया जा रहा है। वार्षिक प्रतिवेदन को बहोपयोगी बनाने के उद्देश्य से इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण एवं जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया एवं पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप आदि अन्य उपयोगी तथ्यों को इस वार्षिक प्रतिवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
- छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय 4 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 प्रस्तुत कर रहा है।

एल.आर. कुर्रे

छत्तीसगढ़
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर

चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक

21, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन : 0771- 2420352

अनुक्रमणिका

भाग-एक :

01. पिछड़ा वर्ग आयोग : एक परिचय
02. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
03. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अमला

भाग-दो :

01. अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य शासन के जारी पत्र / दिशा-निर्देश
02. छत्तीसगढ़ राजपत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के संदर्भ में प्रकाशित राज्य शासन के आदेश

भाग-तीन :

01. अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर के प्रति राज्य शासन के निर्देश एवं निर्धारित मापदण्ड
02. अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमीलेयर हेतु वेतन / सम्पत्ति निर्धारण करने के लिए आय गणना सम्बन्धित पत्र

भाग-चार :

01. भारत शासन के केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय
02. राज्य शासन की अनुसूची में सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय (नाम/परम्परागत व्यवसाय/ कैफियत)

भाग-पाँच :

01. पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप
02. जाति प्रमाण पत्र सत्यापन क्यों एवं कैसे
03. जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र का प्रारुप

भाग-छह :

01. अन्य पिछड़ा वर्ग के समग्र हितार्थ हेतु शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

भाग-सात :

01. वर्ष 2010 से 31 मार्च 2011 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित नवीन जातियों का विवरण
02. छ.ग. निर्माण के उपरांत आयोग द्वारा निराकृत शिकायतों का विवरण वर्षवार शिकायतों का निपटारा
03. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 2010-11 में निराकृत प्रमुख प्रकरणों का विवरण
04. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रेषित प्रमुख सुझाव/ अनुशंसाएं , भ्रमण एवं अनुसंधान कार्य

भाग-आठ :

01. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बजट
02. राष्ट्रीय एवं विविध राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पता एवं दूरभाष नं.

भाग-1

01. पिछड़ा वर्ग आयोग एक परिचय

भारतीय समाज के गठन में अन्यान्य कारणोंवश समाज के अनेक वर्ग न्यायसम्मत व समतापूर्ण व्यवस्था से वंचित रहने के कारण शताब्दियों से उपेक्षित एवं विकास की धारा से विलग रहे। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के उपरांत एक समतामूलक व बंधुत्वपूर्ण समाज की स्थापना करने की दिशा में न्यायसम्मत प्रयास प्रारंभ हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में समाज के इस कमजोर वर्ग की कड़ी को विशेष रुप से सूचीबद्ध किया गया एवं उनके उत्थान व कल्याण हेतू विशेष व्यवस्थाएँ की गई।

भारतीय संविधान के अनुच्छेप 340 (1) के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने की बात कहीं गई एवं राष्ट्रपति से एक आयोग गठन की अपेक्षा की गई और आयोग के सुझावों उपरांत पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष कार्य की जाएं। इसके परिपालन हेतु भारत शासन ने सर्वप्रथम मार्च 1953 में काका कालेलकर कमीशन की नियुक्ति की। दो वर्ष के परिश्रम के पश्चात् मार्च 1955 में काका कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत शासन को प्रस्तुत की। इस आयोग ने उस समय देश की लगभग 2300 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए सूची तैयार की। इस प्रकार देश में अनेक राज्यों की सरकारो ने अपने राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और आयोग के सुझावों के अनुरुप अन्य पिछड़ा वर्ग के जनकल्याण हेतु समुचित व्यवस्थाएं करनी प्रारंभ की।

राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सिफारिशों में विशेष रुप से शिक्षा में सुविधा तथा नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की बात रखी। सर्वप्रथम काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर भारतीय संसद में समय-समय पर बहस होती रही किन्तु पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर कोई विचार नहीं हुआ। 31 दिसम्बर 1978 को पुनः मण्डल कमीशन की नियुक्ति की गई। मण्डल कमीशन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मण्डल कमीशन के प्रतिवेदन पर अगस्त 1990 तक कोई विचार नहीं किया गया। वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा 08

अगस्त 1990 को की और 13 अगस्त 1990 को विधिवत आदेश जारी किया गया। इस आदेश के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुए और दिल्ली की श्रीमती इंदिरा साहने एवं अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की। केन्द्र सरकार भंग होने के बाद 25 सितम्बर 1991 को मूल आदेश में संशोधन करते हुए पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण एवं आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया।

इंदिरा साहने एवं अन्य के अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.12.1999 को आदेश पारित किया। जिसके तहत 10 प्रतिशत आर्थिक आधार आरक्षण (संविधान में प्रावधान न होने पर) को निरस्त करते हुए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक रखे जाने के निर्देश के साथ पिछड़े वर्गों को आरक्षण की प्राथमिकता दिया गया एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया की आर.एन. प्रसाद कमेटी द्वारा सम्पन्न वर्ग की पहचान बनायी जाए, तथा यह भी निर्देश दिया की पिछड़ा वर्ग के सतत् पहचान एवं खोज-बीन तथा निष्कासन की कार्यवाही वैज्ञानिक आधार पर होती रहे इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार अपने यहां स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करें इसके परिपालन में मध्यप्रदेश पुर्नगठन निमय 2000 की धारा 79 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को 14 प्रतिशत आरक्षण वर्तमान में प्राप्त है।

02. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

अविभाजित मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बी.पी. मंडल ने राज्य के पिछड़े वर्ग की दशा का अध्ययन करने के उपरांत कहा कि राज्य में पिछड़े वर्ग की दशा अत्यन्त दयनीय है। शैक्षणिक एवं सामाजिक रुप से अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों का भी उत्थान कार्य किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस गंभीर सुझाव के उपरांत 5 सितम्बर 1980 को अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री रामजी महाजन जी थे। यह आयोग उस समय 9 सदस्यीय बनाया गया था।

1 नवम्बर 2000 को छ.ग. राज्य की स्थापना हुई। देश का 26वाँ राज्य छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्यप्रदेश को बांटकर बनाया गया। नवीन राज्य को अपनी स्थापना कार्य को सुव्यवस्थित करने में कुछ वर्ष लगे तदोपरांत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितैषी डॉ. रमन सिंह ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्वरुप देने के लिए 02 दिसम्बर 2002 को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 2007 में किया गया जिसमें माननीय नारायण चंदेल आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किये तथा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, विभाग को आयोग में शासकीय सदस्य पदस्थ किया गया। छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग के नाम से अधिनियम के अधीन प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग तथा सौंपे गये कार्यों का पालन करने हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्य जिनमें अध्यक्ष शामिल है नियुक्त किये गये।

22 दिसम्बर 1983 को महाजन आयोग ने तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के समक्ष 82 वर्ग/जाति/समूह को पिछड़ा वर्ग के रुप में मान्यता प्रदान करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। **इस सूची में कतिपय संशोधन करते हुए 05. अप्रैल 1997 को पिछड़ा वर्ग जाति/उपजाति/वर्ग समूह की संशोधित सूची प्रकाशित की गयी।** जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ में पिछड़ें वर्गों की आधारभूत सूची मानकर अपनी कार्यवाही कायम की।

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर के आदेश क्रमांक 413/ 1560/07/25-2/आ.जा.वि. शासन के आदेश द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 अध्याय दो की कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **श्री नारायण चंदेल,** जांजगीर-चाम्पा को

अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 23.01.2007 को आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रुप में कार्य भार ग्रहण किया गया।

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष/ सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल

क्र.	पद	नाम	वर्ष	पद ग्रहण दिनांक	त्यागपत्र स्वीकृति दिनांक
1.	मान. अध्यक्ष	श्री नारायण चंदेल	2007-08	23.01.07	30.10.08
2.	मान. सदस्य	श्री लोचन पटेल	2007-08	14.12.07	24.12.08
	-''-	डॉ. गणेश सिंह कौशिक	2008-09	03.03.08	24.12.08
	-''-	श्री नंदकुमार साहू	2008-09	10.03.08	31.10.08
	-''-	डॉ. सोमनाथ यादव	2008-09	10.03.08	24.12.08
	-''-	श्री देवेन्द्र जायसवाल	2008-09	10.03.08	24.12.08
	-''-	श्री प्रहलाद रजक	2008-09	11.03.08	24.12.08

विशेष उल्लेखनीय कि वर्तमान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण चंदेल वर्तमान में जांजगीर-चांपा क्षेत्र के विधानसभा प्रतिनिधि एवं छ.ग. राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष पर सुशोभित है साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य श्री नंदकुमार साहू वर्तमान में रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि है।

03. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग का अमला

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिनियम 1995 के अध्याय 2 के धारा 5 के अन्तर्गत राज्य सरकार आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो कि आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक है।

इस तरह छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम कार्यकाल में अध्यक्ष सहित सात सदस्य नियुक्त हुये। छ.ग. शासन के आदेश क्र./25-2/ आजाकवि/ 2006 रायपुर, दिनांक 14 जून, 2006 को राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर हेतु पद संरचना स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार कुल 12 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत / रिक्त		रिमार्क
				भरे	रिक्त	
1.	सचिव	8000-13500	01	01	-	नियमित
2.	सहा. अनु. अधिकारी	8000-13500	01	01	-	नियमित
3.	निज सचिव	6500-10500	01	01	-	नियमित
4.	निज सहायक	5500-9000	02	02	-	नियमित
5.	सहायक ग्रेड-02	4000-6000	01	01	-	नियमित
6.	सहायक ग्रेड-03	3050-4590	02	02	-	नियमित
7.	भृत्य	कले. दर पर	04	04	-	कले. दर पर

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्र. एफ-19-30/ 25-1 2008, दिनांक 21.06.2010 को स्वीकृत सेटअफ में अतिरिक्त 3 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत / रिक्त		रिमार्क
				भरे	रिक्त	
1.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	01	01	-	नियमित
2.	वाहन चालक	5200-20200	01	01	-	नियमित
3.	चौकीदार	4750-7440	01	01	-	नियमित

भाग-2

01. अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य शासन के जारी पत्र / दिशा-निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक -/2003/1-3 रायपुर, दिनांक 22.07.2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-2/96 आ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च, 197 में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए है। इन निर्देशों का कंडिका '6' एवं '13' में निम्नानुसार उल्लेख है :-

6. जाँच के आधार बिन्दु -जांचकर्ता अधिकारी आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम या अन्य साक्ष्य, जो कि वहां के स्थायी निवास तथा जाति सिद्ध करने में सहायक हो, प्राप्त करेंगे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वहां के रहने वाले राजपत्रित अधिकारी की भी राय ली जा सकती है, ग्रामीण क्षेत्र की पंचायते तथा शहरी क्षेत्र के नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अभिलेख इन संस्थाओं की राय को भी साक्ष्य माना जायेगा परंतु प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उक्त साक्ष्य से या अन्य सभी तरीके से वे सुनिश्चित करें कि जिस व्यक्ति को यह प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है, (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ का निवासी है और दिनांक 26 दिसम्बर 1984 को यह उसके पूर्व (मध्य प्रदेश) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवजन कर चुका है।

13. प्रवजन अंर्राज्यीय प्रवजन-

(अ) जहां कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवजन करता है, तो वह केवल उस राज्य के बारे में ही पिछड़ा वर्ग का सदस्य माना जाएगा, जिससे मूल रुप से संबंध हो अथवा पिछड़े वर्ग के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26.12.1984 को या इसके पूर्व राज्य में प्रवजन कर चुका है।

(ब) यदि पिछड़ा वर्ग का सदस्य कहीं अन्यत्र प्रवजन करता है और वह जाति/ जनजाति उस प्रदेश की अधिसूचित सूची में नहीं है तो उसे जाति प्रमाण-पात्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए 26 दिसम्बर 1984 की स्थिति में जांच की जाना है।

2. शासन को लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है कि जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा वर्ग के जाति समूहों से भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की भांति वर्ष 1950 के आधार पर अभिलेख की मांग/जांच को आधार बनाया जा रहा है।

3. अतः समस्त कलेक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व). तहसीलदारों एवं नायाब तहसीलदारों की तत्काल बैठक लेकर यह सुनिश्चित करें कि पिछड़ा वर्गों के लिए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु 26 सितम्बर 1984 की निर्धारित तिथि का पूर्णतः पालन करें।

(पंकज द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक -/2003/1-3, रायपुर, दिनांक 22.07.2003

प्रतिलिपि :-

01. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर।
03. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तसीगढ़।
04. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तसीगढ़, रायपुर।
05. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर।
06. उपसचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
07. प्रमुख सचिव/संयुक्त सचिव/ उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
08. आयुक्त, जन सम्पर्क, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विलियम कुजूर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 13-4/2008/1-3 रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय : - **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन।**

कई बार अपात्र/ गैर अनुसूचित जाति/ गैर अनुसूचित जनजाति/गैर अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों द्वारा झूठे / नकली जाति समुदाय प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकार के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति प्राप्त कर ली जाती है, जिसके कारण वास्तविक अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को संवैधानिक लाभ से वंचित होना पड़ता है। यह स्थिति उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र क्रमांक 36022/1/2007-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 20 मार्च 2007 की फोटोप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(एस.आर. सेजकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई, 2007

सेवा में,

सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के
मुख्य सचिव।

विषय : - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन।

महोदय,

इस विभाग की जानकारी में यह बात लायी गई है कि कुछ व्यक्ति झूठे/ नकली जाति समुदाय प्रमाण-पत्रों के आधार पर सरकार के अधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। यह एक गंभीर मामला है जिसको केवल राज्य सरकारों के सहयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

2. इस विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी से यह आपेक्षा की जाति है कि वे अ.जा./ अ.ज.जा/अ.पि.वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर प्रारंभिक नियुक्ति करते समय संबंधित प्राधिकारी, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की वैधता सत्यापित करने का संबंधित जिला प्राधिकारी से अनुरोध करता है। कई बार जिला प्राधिकारी इस कार्य में अनुचित रुप से लम्बा समय लगा देते हैं। जहां समय-सीमा के भीतर सत्यापन पूरा नहीं हो पाता, उम्मीदवार को उनकी जातीय स्थिति का सत्यापन लंबित रहने पर भी अनंतिम आधार पर नियुक्त कर दिया जाता है। जिला प्राधिकारी से समुचित उत्तर के अभाव में ऐसे कुछ उम्मीदवार झूठे / नकली प्रमाण-पत्रों के आधार पर पद पर कार्य करते रहते है। कुछ उम्मीदवारों द्वारा जिला स्तर पर बेइमान कर्मचारियों से सांठ-गांठ के अवसरों को भी नहीं नकारा जा सकता।

3. मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि आप उक्त प्रणाली को कारगर बनाने की व्यवस्था करें ताकि ऐसे बेईमान लोगों को अ.जा/अ.ज.आ./ अ.पि.व. के नहीं है, झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अ.जा/अ.ज.आ./ अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रोज़गारों को हासिल करने से रोका जा सके। उचित होगा कि आप जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/जिला कलेक्टरों/ जिला उप-आयुक्तों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दें कि वे अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर एक माह के भीतर इसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को दे दें। झूठे/नकली प्रमाण-पत्र रखने वाले उम्मीदवारों तथा जिला स्तर अथवा उप जिला स्तर के कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ को समाप्त करने हेतु ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ की जाए जो कि ऐसे मामलों में जातीय स्थिति का सत्यापन समय पर करने में असफल रहते हैं अथवा झूठे प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।

भवदीय,

(आर.रामानुजम)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. - एफ 13-3/आ.प्र./2008/1-3 रायपुर, दिनांक 12 जून, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 14-7/2003/1-3 दिनांक 06.08.2003

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में उदारता, सद्भावना पूर्वक कार्यवाही की अपेक्षा संदर्भित परिपत्र में की गई है। शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सेवा संबंधी मामलों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को गलती किये जाने पर भी सर्वप्रथम समझाईश दिया जाकर उनकी कार्य पद्धति में सुधार लाने का प्रयास किये जाये तत्पश्चात् भी यदि सुधार नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जाये। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ, कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरान्त की जाएं।

2. शासन द्वारा पुनः यह भी अपेक्षा की जाती है कि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाए तथा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना करते समय भी इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण कृत्य/व्यवहार किसी भी हालत में न हो।

3. इन निर्देशों के उल्लंघन के मामले शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के. राय)
उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र.- एफ 13-1/2008/1-3 रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे (फर्जी/गलत) प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही ।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 13-3/2006/1-3 /दिनांक 15 जून, 2007.

उपर्युक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्र के पैरा-2 में निम्नानुसार निर्देश है :-

1. "यदि किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में यह पाया जाता है कि वह भर्ती नियमों इत्यादि के अनुसार सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए योग्य नहीं था अथवा उसने नौकरी पाने के लिए गलत सूचना दी थी या गलत प्रमाण पत्र दिया था तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह परिवीक्षाधीन अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी है तो उसे कार्यमुक्त कर देना चाहिए अथवा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति स्थायी सरकारी कर्मचारी बन गया है तो उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जानी चाहिए और यदि उस पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उसे सेवा से हटा देना चाहिए या बरखास्त कर देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति पर इसके अतिरिक्त कोई और शास्ति नहीं लगाई जानी चाहिए।"

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्माण ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 माधुरी पाटिल बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्राईबल डेव्हलपमेंट तथा ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1506 डायरेक्टर ट्राईबल बेलफेयर बनाम लावेतिगिरी में समस्त राज्य सरकारों को दिए दिशा निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्रों की जॉच हेतु प्रमुख सचिव/ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अध्यक्षता में जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छान-बीन समिति गठित की गई है उक्त समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत जाति प्रमाण पत्र के संबंध में जॉच करने हेतु सक्षम प्राधिकार है समिति द्वारा संबंधित को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गलत/फर्जी पाए जाने पर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने संबंधी निर्णय पारित किया जाता है जिसका पालन एवं तदनुसार कार्यवाही किया जाना समस्त संबंधितों के लिए अनिवार्य है।

3. उच्च स्तरीय छान-बीन समिति का निर्णय रजिस्टर्ड डाक से नियोक्ता, आरोपी एवं अन्य समस्त संबंधियों को प्रेषित किया जाता है, परंतु कई नियोक्ता द्वारा फर्जी/ गलत जाति प्रमाण पत्र धारक के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती तथा उनके विरुद्ध अपने विभागीय नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि की प्रकिया अपनाई जाती है, जिससे संबंधित व्यक्ति अपात्र होने पर भी सेवा का अवांछित लाभ इस दीर्घ प्रक्रिया में लगने वाले समय में उठाता रहता है, जो कि उचित नहीं है।

4. जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा निर्णय पारित होने के उपरांत की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्माण/न्याय दृष्टांत ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 माधुरी पाटिल बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्राईबल डेव्हलमेंट तथा ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1506 डायरेक्टर ट्राईबल वेलफेयर बनाम लावेतिगिरी में यह स्पष्ट निर्देश है कि संबंधित नियोक्ता दोषी को बिना कोई नोटिस जारी किए, निर्णय की प्रति प्राप्त होते ही तत्काल नियुक्ति निरस्त करेगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की डिवीजनल बेंच के निर्णय/ न्याय दृष्टांत ए.आई. आर. 2007 एस.सी. 1126 सुपरिन्टेन्डेंट आफ पोस्ट आफिस बनाम आर. बालसिना बाबू में भी यह निर्धारित किया है कि यदि कोई कर्मचारी धोखाधड़ी से गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति हासिल कर लेता है, तो उसकी बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. अतः माननीय उच्चतम न्यायलय के उपयुक्त निर्णयों के प्रकाश में यह निर्देशित किया जाता है कि ''जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छान-बीन समिति'' के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित फर्जी/ गलत जाति प्रमाण पत्र धारक की नियुक्ति को निरस्त करते हुए उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जाय, इसके लिए किसी विभागीय जाँच या अन्य जाँच की आवश्यकता नहीं।

यह निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों को भी पृष्ठांकित किये जायें तथा उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र.- एफ 13-1/2008/1-3 रायपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे (फर्जी/गलत) प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही ।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 13-3/2006/1-3 दिनांक 24 जुलाई, 2008.

उपर्युक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्र के पैरा-5 में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है :-

1. ''जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित फर्जी / गलत जाति प्रमाण पत्र धारक की नियुक्ति को निरस्त करते हुए उसकी सेवायें तत्काल समाप्त की जाय, इसके लिए किसी विभागीय जांच या अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है'' ।
2. उपरोक्त निर्देश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि किसी प्रकरण में किसी माननीय न्यायालय को कोई स्थगन या अन्य आदेश है तो माननीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जायेगा ।
3. यह परिपत्र अधीनस्थ कार्यालयों को भी पृष्ठांकित किया जाय तथा उपरोक्त निर्देश का पालन किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता.

(एम.एम. मिंज)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. -1299/72/2010/1-3 रायपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़

विषय : - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / एवं अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन।

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 5664/05 (PIL) में पारित आदेश दिनांक- 07.10.2006 के पालन में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक- 10 अगस्त, 1950 को संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची जो मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित की गई है, में प्रविष्टि क्रमांक- 20,23,33, 34 एवं 35 पर अंकित जनजातियों के ऐसे व्यक्ति / परिवार जो अविभाजित मध्यप्रदेश के अंतर्गत मूलतः मध्यप्रदेश से संबंध रखते हैं किन्तु मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के लागू होने के पूर्व से पुनर्गठित छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत स्थाई रुप से बस गये है और वर्तमान में निरन्तर छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत् है को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी किए जाएंगे जिस प्रकार मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।

2/ उक्त जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करते समय समस्त सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आवेदक के स्थाई निवासी के संबंध में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करे-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.डी. चोपड़े)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

02. छत्तीसगढ़ राजपत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के संदर्भ में प्रकाशित राज्य शासन के आदेश

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक - रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010- आषाढ़ 11, शक 1932

विषय -सूची

भाग 1- (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3- (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4 - (क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग-1

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2010

क्रमांक ई. 01-01/2010/1/2- श्री तपेश झा, (भा.व.से.), वन संरक्षक, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए पर्यटन विभाग की प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

श्री तपेश झा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), सचिव, खेल एवं युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मण्डल केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2010

Raipur, the 2nd June 2010

F.No. 5656/ D- 1264/XXI-B/C.G./2010- In compliance with the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989, All India Judges Association Vs Union of India and other dated 07-10-2009, the State of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the department's order No. 13040/ XXI-B/ C.G./06, dated 31st October, 2006 namely :-

AMENDMENT

In the said order, -

In para(12), for the words " Special Allowance" wherever they occur the words " Special Pay" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर.एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह, भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2010

क्रमांक 3005/1265/2010/38-2.- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में राज्य शासन को विनिर्दिष्ट किया जाता है .

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जे.एस. दीक्षित, उप सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक /एफ 10-16/25-3/09/आजावि. - राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 30 पर अंकित ''गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास'' के पश्चात् ''नाथयोगी'' स्थापित करता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2010- श्रावण 1, शक 1932

विषय -सूची

भाग 1- (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3- (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4 - (क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 1

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक ई 1-1/2010/1/2 - श्री यशवंत कुमार, भा.प्र.से. (2007) अनुविभागीय अधिकारी.....रायगढ़ की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सरजियस मिंज, अपर मुख्य सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक /एफ- 1-5/25-2/2003/आजावि. - वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता है.

क्र.	वक्फ अधिनियम की धारा	नाम व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है
1.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री मोहम्मद अकबर, विधायक, के.के. रोड, मौदहापारा, रायपुर
2.	धारा 14 (1) (ख) (ii)	श्री बदरूद्दीन कुरैशी, विधायक, भिलाई नगर
3.	धारा 14 (1) (ख) (iii)	श्री फैजल रिजवी, अधिवक्ता, इंडियन काफी हाउस के पीछे, जी.ई.रोड, रायपुर
4.	धारा 14 (3) (धारा 14 (5) की पूर्ति हेतु)	श्री शाहिद हुसैन, अधिवक्ता, गोलछा काम्पलेक्स, सी/103, नलघर चौक, रायपुर

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2010 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2010

क्रमांक /एफ -10-17/25-3/2009/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 39 में सम्मिलित "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवंशी, चन्द्रकार, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल (गमैल) सिरवी" के पश्चात् "कुन्बी" को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप- सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक /एफ 5-23/2004/10-2. - राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-7-2009 की कंडिका 13 तथा 14 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है :-

13 (1) राज्य कैम्पा का शासी निकाय निम्नानुसार होगा :-

(i)	माननीय मुख्यमंत्रीजी	-	अध्यक्ष
(ii)	माननीय वन मंत्रीजी	-	सदस्य
(iii)	माननीय वित्त मंत्रीजी	-	सदस्य
(iv)	मुख्य सचिव	-	सदस्य
(v)	अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वन	-	सदस्य सचिव
(vi)	प्रमुख सचिव, वित्त	-	सदस्य

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010- आश्विन 2, शक 1932

विषय -सूची

भाग 1- (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3- (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4 - (क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम,(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 1
राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 4-2/2010/1/एक - राज्य शासन एतद् द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 09 अगस्त 2010 से 13 अगस्त 2010 तक (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्ता सहित अर्जित अवकाश की .....तथा अवकाश पूर्व दिनांक 07 एवं 08 अगस्त 2010 तथा अवकाश पश्चात् 14 एवं 15 अगस्त 2010 का सार्वजनिक अवकाश .....अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एल. सोनी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27अगस्त 2010

क्रमांक / एफ- 10-2/25-2/09/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 60 में सम्मिलित ''मोवार'' के पश्चात् ''मौवार'' को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक /एफ -10-14/25-2/10/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछडा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 20 में सम्मिलित '' धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक'' के पश्चात् '' बरेठ'' को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप- सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ -10-26/2010/16. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 11 नियम, 2 (ज) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 11 एवं नियम, 14 के अधिकारों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अधिसूचना जारी करता है :-

''सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जो उप श्रमायुक्त से निम्न श्रेणी का न हो, उपकर निर्धारण हेतु अपीलीय प्राधिकारी होगा''

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ -10-27/2010/16. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 210 (1) (ज) (1) में '' उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा या सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा'' अंतर्स्थापित किया जाता है.

उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.डी. कुंजाम, उप- सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40 रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2010- आश्विन 9, शक 1932

विषय -सूची

भाग 1- (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3- (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4 - (क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग)(1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग 1
राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2010

क्रमांक ई. 01-01/2010/एक/2.- डॉ. बी.एस. अनन्त, भा.प्र.से.(1993),आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम, तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, सह-संचालक, पंचायत एवं समाज सेवाएं के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें. सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .

2. श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से (1997) कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं संचालक, राज्य साक्षरता मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है .

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ- 10-11/25-2/10/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 68 में सम्मिलित ''रजभर'' के पश्चात् ''राजभर'' को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ -10-13/25-2/10/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 39 में सम्मिलित '' कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवैल (गमैल) सिरवी'' के पश्चात् '' चंदनाहू, चन्नाहू'' को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ -19-53/25-2/10/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 27 में सम्मिलित '' गुसाई, गोस्वामी'' के पश्चात् '' गोसाई'' को स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ -19-54/25-2/10/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित ''अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारा, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत'' के पश्चात् '' गोपाल'' को स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप- सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2010

क्रमांक /एफ -8-2/2009/16. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला सरगुजा के विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 05 भटगांव में उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि 01 अक्टूबर, 2010 दिन शुक्रवार को मतदान हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आनेवाले कारखानों/ स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात दिनांक 01 अक्टूबर, 2010, दिन शुक्रवार को उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवकाश घोषित किया जाता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, साथ ही जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.डी. कुंजाम, उप -सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक अगस्त 2002

क्रमांक 4111/डी- 3136/3662/2002/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित ''राऊत गोवारी '' के पश्चात् ''रावत'' को तथा क्रमांक 33 (ब) पर सम्मिलित ''माली (सैनी), मरार'' के पश्चात् ''पटैल'' (हरदिहा मरार) को निम्नानुसार विवरण के साथ शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करता है .

क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	रावत	पशुपालन, दुग्ध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना	ब्राह्मण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नही हैं.
	पटैल (हरदिहा मरार)	शाक- सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	गाँव की मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया-धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं हैं .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.के. द्विवेदी
सयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 08.09. 2004

क्रमांक 5971 /डी- 3136/25-2/2004/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 33 (अ) पर अंकित कांछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर तथा कोहरी के आगे कोईर शब्द स्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.सी. पाण्डेय
विशेष सचिव (छत्तीसगढ़ शासन)

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2005

क्रमांक /डी- 5067/1109/2005/आजावि.- इस विभाग की अधिसूचना क्र./डी 3388 / 1109/ 2003/ आजावि- 31 जुलाई, 2003 के कैफियत कालम में अंकित ''यह जाति मुख्यतः रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवासी करती है।'' को एतद द्वारा विलोपित किया जाता है . तदानुसार पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची के सरल क्रमांक 90 में अंकित भूलिया- भोलिया जाति का विवरण निम्नानुसार पढ़ा जावे --

क्र.	जाति का नाम	जाति का परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1.	भूलिया- भोलिया	सूती कपड़ा बुनना	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(देवेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव (छत्तीसगढ़ शासन)

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक.08 जुलाई 2009

क्रमांक /एफ- 10-3/25-3/2009/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 36में.सम्मिलित ''ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया'' के पश्चात् ''कसेर'' को स्थापित करता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अ.जाति विकास विभाग

क्रमांक /एफ- 10-3/25-3/2009/आजावि. - रायपुर दिनांक 08 जुलाई 2009

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसग, रायपुर
02. शासन के समस्त विभाग,
03. समस्त विभागाध्यक्ष
04. समस्त आयुक्त छत्तीसगढ़
05. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
06. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर
07. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
08. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास, छत्तसीगढ़
09. नियंत्रक, मुद्रक तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, राजनांदगाँव की ओर अग्रेषित, कृपया असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें.

(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अ.जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2009

क्रमांक /एफ- 10-3/25-3/2009/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 23 में सम्मिलित ''गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बेघेले)'' के पश्चात् ''गड़ेरी'' को स्थापित करता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक /एफ- 10-3/25-3/2009/आजावि. - रायपुर दिनांक सितम्बर, 2009

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसग, रायपुर
02. शासन के समस्त विभाग,
03. समस्त विभागाध्यक्ष
04. समस्त आयुक्त छत्तीसगढ़
05. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
06. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर
07. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
08. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास, छत्तसीगढ़
09. नियंत्रक, मुद्रक तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, राजनांदगाँव की ओर अग्रेषित, कृपया असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें.

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2010

क्रमांक /एफ- 10-19/25-2/2010/आजावि. - राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के सरल क्रमांक 44 में सम्मिलित ''लोनिया, लुनिया, औड़, ओड़े, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा'' के पश्चात् ''नुनिया, नोनिया'' को स्थापित करता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

क्रमांक /एफ- 10-19/25-2/2010/आजावि. - रायपुर दिनांक 22 सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसग, रायपुर
02. शासन के समस्त विभाग,
03. समस्त विभागाध्यक्ष
04. समस्त आयुक्त छत्तीसगढ़
05. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
06. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर
07. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
08. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिवासी विकास, छत्तसीगढ़
09. नियंत्रक, मुद्रक तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़, राजनांदगाँव की ओर अग्रेषित, कृपया असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें.

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन

भाग-3

01. अन्य पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर के प्रति राज्य शासन के निर्देश एवं निर्धारित मापदण्ड

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक एफ 7-26/93/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :- अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड ।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 8 मार्च 1994 तथा 22 जून, 1994।

संदर्भित पत्रों कृपया अवलोकन करें।

2. भारत सरकार के ज्ञापन क्रमांक 36012/22/93/(ईष्टा) एस.सी.टी. दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के द्वारा प्राप्त क्रीमीलेयर के मापदण्डों को ही राज्य सरकार द्वारा मान्य किया गया है, किन्तु अंग्रेजी मापदण्डों के हिन्दी अनुवाद में कुछ शाब्दिक विसंगतियां रह गई थी। अतः अब शाब्दिक विसंगतियों को दूर करते हुए, संशोधित हिन्दी मापदण्ड जारी किया जा रहा है, जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया प्रमाण-पत्र जारी करते समय अब इन्हें अमल में लिया जाये।

सलग्न :- अनुसूची ।

हस्ता
(पी.सी. सूर्य)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुसूची

क्र.	प्रवर्ग का वर्णन		अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
01.	(अ) संवैधानिक पद		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :-
		(क)	भारत के राष्ट्रपति
		(ख)	भारत के उप राष्ट्रपति
		(ग)	उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
		(घ)	संघ लोग सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक।
		(डी)	समान स्वरुप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति
	सेवा के प्रवर्ग		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री :-
	(अ) अखिल भारतीय केन्द्रीय	(क)	जिनके माता-पिता, दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं
	तथा अन्य द्वारा राज्य सेवाओं	(ख)	जिनके माता-पिता, में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है
	के समूह-अ/ प्रथम श्रेणी	(ग)	जिनके माता-पिता, में से दोनो ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है,
	अधिकारी (सीधी भर्ती नियुक्त)	(घ)	जिनके माता-पिता में से कोई एक प्रथम श्रेणी अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है। और उसने ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक आदि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो
		(डी)	जिनके माता-पिता दोनों ही प्रथम श्रेणी अधिकारी है तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाते है और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
		(क)	ऐसे माता-पिता के पुत्र तथा पुत्रियां जिनमें से कोई एक या दोनों प्रथम श्रेणी अधिकारी है, और जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाते हैं।
		(ख)	अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह प्रथम श्रेणी अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिये आवेदन देना चाहती है।

		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :-
(आ) केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह-ख/ द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त)	(क)	जिनके माता-पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं,
	(ख)	जिनके माता-पिता में से केवल पति द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा इससे पूर्व प्रथम श्रेणी अधिकारी बनता है।
	(ग)	जिनके माता-पिता दोनों ही द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता के शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष तक की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	(घ)	जिनके माता-पिता में से पति प्रथम श्रेणी का अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए तथा
	(ङ)	जिनके माता-पिता में से पत्नी प्रथम श्रेणी की अधिकारी हो (सीधी भरती से नियुक्ति अथवा 40 वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नति) एवं पति द्वितीय श्रेणी अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाए।
		परंतु अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा
		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियां) :-
	(क)	जिनके माता-पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अक्षमता का शिकार हो जाता है।
	(ख)	जिनके माता-पिता दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
(इ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के कर्मचारी		इस प्रवर्ग में उपर्युक्त अ तथा आ में बताया गया मापदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों संगठनो, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी नियोजन के अंतर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा। इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

3. सशस्त्र सेनाएं जिनमें अर्द्धसैनिक बल शामिल है (सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हैं)		उन माता-पिता के पुत्र पुत्री (पुत्रियां) जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल तथा इससे ऊपर की पद श्रेणी पर तथा जल सेना और वायु सेना एवं अर्द्ध सैनिक बलों में समकक्ष, पदों पर कार्यरत है-
	(1)	यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना (अर्थात विचारार्थ प्रवर्ग) में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल की पद श्रेणी तक पहुंच जाए।
	(2)	पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे की सेवा पद श्रेणी को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
	(3)	सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियोजन में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इसे मद्देनजर नहीं रखा जायेगा जब तक कि वह मद संख्या 2 के तहत सेवा के प्रवर्ग में न आ जाए ऐसे मामलें में मानदण्ड तथा उनमें वर्णित शर्ते उस स्वतंत्र रुप से लागू होगी।
		प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
4. व्यावसायिक वर्ग तथा वे जो व्यापार और उद्योग में लगे हुये कर्मचारी		
(1) चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेंट, आयकर परामर्शदाता, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार दंत चिकित्सक, इंजीनियर, वास्तुविद (आर्किटेक्ट), कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक, नाटयकार, खिलाड़ी, खेल से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति, जनसंचार व्यवसायी, पेशेवर खिलाड़ी अथवा समान स्तर के अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति		
(2) व्यापार, कारोबार, तथा उद्योग में लगे व्यक्ति		प्रवर्ग 6 के सामने मानदण्ड लागू होगा।
		स्पष्टीकरण
	(1)	चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी द्वितीय श्रेणी में अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो, आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जावेगा।
	(2)	यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति द्वितीय श्रेणी अथवा निम्न ग्रेड के नियोजन में हो आय/सम्पत्ति का आँकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

5. सम्पत्ति स्वामी (क) कृषि खाते	(1)	एक ही परिवार (माता-पिता तथा अवयस्क बच्चे) के उन व्यक्तियों के पुत्र तथा पुत्री जो निम्नलिखित के स्वामी है :-
	(क)	केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है, या
	(ख)	निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि अपवर्जन नियम वहां लागू होगा जहां कि पूर्व निर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे सामान्य अभियान के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो) सिंचित भूमि के *लिये कानूनी अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। (इसकी* गणना असिंचित क्षेत्र को अपवर्जित करके की जाएगी)। यदि 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जायेगा। यह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान संपरिवर्तन फार्मूले के आधार पर सिंचित श्रेणी में संपरिवर्तित करके किया जाएगा। असिंचित भूमि में इस प्रकार संगठित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर सिंचित भूमि के रुप में कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिये तय की गयी कानूनी अधिकतम सीमा का 80 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी।
	(2)	यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णतः असिंचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा।
(ख) बागान (एक) काफी, चाय, रबर आदि (दो) आम, खट्टे फल, सेब के बाग आदि (ग) शहरी क्षेत्रों में यह उप-नगरीय क्षेत्रों में रिक्त भूमि और/ या भवन		नीचे प्रवर्ग 6 में निर्दिष्ट आय/ सम्पत्ति का मानदण्ड लागू होगा। इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिये इस प्रवर्ग पर उपरोक्त ''क'' का मानदण्ड लागू होगा। नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण भवन का उपयोग आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है इस तरह के दो या अधिक प्रयोजनों के लिये किया जा सकता है।
6. आय/ सम्पत्ति आँकलन संशोधन दिनांक 6 जुलाई 2000 (परिशिष्ट-30 पर संलग्न)		निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्रियां :-
	(क)	ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षो से दो लाख रुपये या उससे अधिक है या जिनके पास पिछले लगातार तीन वर्षो से इतनी सम्पत्ति है जो धनकर अधिनियम में दी गई छूट की सीमा से अधिक है।
	(ख)	प्रवर्ग 1,2,3 तथा 5-क में वे व्यक्ति जो कि आरक्षण के फायदे के हकदार है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्त्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/ सम्पत्ति के मानदण्ड के भीतर आते हों।
		स्पष्टीकरण
	(1)	वेतन या कृषि भूमि से हुई आय को इकट्ठा सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
	(2)	रुपये के मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, रुपये के रुप में आय के मानदण्ड में प्रति वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा तथा परिस्थितियों की मांग के अनुरुप अंतरावधि कम भी हो सकती है।

स्पष्टीकरण :- इस अनुसूची में जहां कहीं भी ''स्थायी अक्षमता'' अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरुप किसी अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सकें।

02. अन्य पिछड़े वर्गों में से क्रीमीलेयर हेतु वेतन / सम्पत्ति निर्धारण करने के लिए आय गणना सम्बन्धित पत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 9-3/ 2001/1-3, रायपुर, दिनांक 2/ जून, 2011

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
21 सी रविनगर, कलेक्टोरेट के पीछे,
रायपुर, (छ.ग.)

विषय :- अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर निर्धारण हेतु वेतन/संपत्ति का परीक्षण बाबत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 20/स.अ.अ./2011-12, दिनांक 20.01.2011 एवं
स्मरण-पत्र क्रमांक 153/स.अ.अ/ 2010-11, दिनांक 31.05.2011

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो ।

2/ अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमीलेयर निर्धारण के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2001/1-3, दिनांक 02.06.2011 द्वारा संशोधित परिपत्र जारी किया गया है । परिपत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार ।

(एल.डी. चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर - 492001

क्रमांक - एफ 9-3/ 2001/1-3 रायपुर, दिनांक 02.06.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़

विषय :- अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय की गणना के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.06.2009

अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36033/3/2004- स्था (आरक्षण), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 में आय/सम्पत्ति के निर्धारण के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को नहीं जोड़ा जाएगा।

2/ उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ही इस राज्य में भी सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने हेतु आय सीमा रुपये 2.00 लाख वार्षिक से बढ़ाकर रुपये 4.50 लाख वार्षिक किया गया है, लेकिन उसमें आय / सम्पत्ति के आँकलन के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि **वेतन अथवा कृषि भूमि से प्राप्त आय को संयुक्त रुप से नहीं जोड़ा जाएगा।**

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इस राज्य द्वारा जारी किए गए संदर्भित परिपत्र में आय/ सम्पत्ति के ऑकलन के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न होने के कारण, सम्पन्न वर्ग के निर्धारण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों एवं पालकों के बीच क्रीमीलेयर के संबंध में भ्रांति व्याप्त हैं, जिसके कारण राज्य में कई पात्र व्यक्ति शासन द्वारा दिए जा रहे लाभ एवं अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

3/ चूंकि राज्य शासन के संदर्भित परिपत्र में दिया गया स्पष्टीकरण, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण से भिन्न है, अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के संदर्भित परिपत्र में दिए गए स्पष्टीकरण में उल्लिखित **''संयुक्त रुप से''** शब्दों को विलोपित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग.शासन)

भाग-4

01. भारत शासन के केन्द्रीय सूची में सम्मिलित छ.ग. राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय

भारत का राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 प्राधिकार से प्रकाशित क्रं. 232/नई दिल्ली,

बुधवार, अगस्त 18, 2010

नई प्रविष्टि संख्या	जाति/ उप -जाति / पर्याय के नाम
1.	अहीर
	ब्रजवासी, गवली, ग्वाली, गोली, लिगांयत गाओली
	गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा
	जादव, यादव, राउत, थेथवार, गोप/गोपाल
2.	असारा
3.	भड़भूजा
	भुर्जी, धुरी या धूरी
4.	बैरागी
5.	बंजारा
	कारिरीवाला बंजारा
	लामन बंजारा
	बमानिया बंजारा
	लमान /लम्बानी, बंजारी
	मथुरा, मथुरा लभान
	मथुरा बंजारी, नवी बंजारा
	जोगी बंजारा, नायक, नायकड़ा
	लम्बाना/लम्बारा
	लम्भानी, लभाना
	लबान, लबाना, लामने
	धूरिया

6.	बरई
	वारई
	वारी (चौरसिया)
	तमोली
	तम्बोली
	कुमावट्ट, कुमावत
7.	बढ़ई, सुतार, सुथार, कुन्देर, विश्वकर्मा
8.	भारूड़
9.	भाट
	चारण (चरहम)
	सावली, सुतिया
	राव
	जसोंधी
	मरू-सोनिया
10.	भटियारा
11.	भुरतिया
	भुतिया
12.	चिप्पा, छीपा
	भावसार
	नीलगर
	जीनगर
	निराली
	रामगढ़ी
	रंगारी
	रंगरेज
	रंगारेज
	रंग्रेज
	रंग्रेध

	छिप्पा-सिन्धी-खत्री
13.	चितारी
14.	चुनकर
	चुनगर/चूनगर
	कुलबंधिया
	राजगीर
15.	दांगी
16.	दर्जी
	चीपी/छिपी/चिपी
	शिपी
	मावी (नामदेव)
17.	देशवाली
	मेवाती
18.	धिमर/ धीमेर
	भोई
	कहार
	कहरा
	धीवर
	मल्लाह
	नावदा, नावड़ा
	तुरहा
	केवट (रेकवार, रायकवार)
	कीर
	ब्रितिया /ब्रितिया
	सोंधिया
19.	धोबी (उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इनको अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है)
20.	धोली
	डफाली/डुफाली

	गुरव/गुराव
21.	गडरिया
	कुरमार
	हटगर
	हटकर
	हाटकार
	गाड़री, गडारिया
	गारी
	गायरी
22.	गारपगारी
	जोगीनाथ, नाथजोगी
23.	घोषी
24.	गूजर/ गुर्जर
25.	गुसाई/गोसाई/गोसाइन
	गोसेब
	गोस्वामी/ गोवसामी
26.	**इस्लामी समूह**
	1. रंगरेज
	2. भिश्ती, भिस्ती- अब्बासी
	3. चिप्पा/छीपा
	4. हेला
	5. भटियारा
	6. धोबी
	7. मेवाती, मेव
	8. पिंजारा, नद्दाफ
	फकीर/ फकिर
	बेहना
	धुनिया

	धुनकर
	9. कुंजरा, राईन
	10. मनिहार
	11. कसाई, कसाब, कस्साब
	कसब, कस्सब, कस्साब-कुरैशी
	12. मिरासी
	13. बढ़ई (कारपेंटर)
	14. हज्जाम (बारबर)
	नाई (बारबर)
	सलमानी
	15. जुलाहा-मोमिन
	जुलाहा-अंसारी
	मोमिन अंसारी
	16. लुहार
	नागौरी लुहार
	17. तड़वी
	18. बंजारा, मुकेरी, मकरानी
	19. मोची
	20. तेली
	नायता, पिंडारी (पिंडारा)
	21. कलईगर
	22. पेमदी
	23. नालबंद
	24. मिर्धा (जाट मुस्लिम को छोड़कर)
27.	काछी
	(कुशवाहा/ कोशवाहा मौर्य)
	कोयरी/ कोइरी (कुशवाहा), शाक्या, मुराई
	पनारा/पनाहारा, सोनकर

28.	कड़ेरे / कड़ोरे
	धुनकर
	धुनिया
29.	कलार, कलाल
30.	कलौता/कोलटा/कोलता
31.	कमरिया
32.	कस़ाबी/ किसबी
33.	खारोल
34.	खातिया
	खाती
35.	किरार
	किराड़
	धाकर/धाकड़
36.	कोष्टा/ कोसटा
37.	कोस्ती/ कोश्ती
	देवांगन
	देवांग
	सालवीदेवांग
	माला
	पदमहाली
	पदमशाली
	साली
	सुतसाली
	सलवार/ सलेवार
	जेंदरा/जन्द्रा
	कोस्काटी
	गढ़वाल
	गढ़ेवाल

	गरेवार
37.	कोटवार/कुटवार
	कोतवाल
38.	कुम्हार (प्रजापति)
	कुम्भार
39.	कुरमार/कुरामी/कुर्मी, कुनबी, कुर्मी पाटीदार, कुलामी, कुल्मी, कुलम्बी,गवैल,गाभैल
40.	लखेरा/लखेर, कचेरा / कचेर
41.	लोधी
	लोधा
	लोध
42.	लोहार
	लुहार
	लोहपीटा
	गड़ोले
	गड़ेला
	लोहपटा, लोहपेटा
	विश्वकर्मा
43.	लोनिया/लुनिया/लोनिआ/लुनिआ
	ओध, ओधे, ओधिया, ओड़े,
	ओड़िया, नानिया, मुरहा
	मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया
44.	माली (सैनी), मरार
45.	मानकर
46.	मेरू, मेर
47.	नाई (सेन, सविता, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही /नावी
48.	नायटा, नायडा
49.	पनिका
50.	पटका

	पटकी
	पटवा
51.	पिंजारा (हिन्दू)
52.	पवार
	भोयर/भोयार
53.	राघवी/राघावी
54.	राजवार
55.	रौतिया, रोतिया
56.	सैईस, सहीस
	साईस
57.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई धर्म अपना लिया है।
58.	सिकलीगर
59.	सोढ़ी
	सुदी
	सुण्डी
60.	सुनार, स्वर्णकार
	झारी, झाड़ी
	अवधिया
	औधिया
61.	तरहा
	तिरवाली
	वड्डार
62.	तेली (राठौर, साहू)
63.	ठठेरा, ठटेरा
	कसार
	कसेरा
	तमेरा
	तम्बटकर/ताम्रकार

	तमेर
64.	वसुदेव
	बासुदेव
	बसुदेव
	वासुदेव
	हरबोला
	कापड़िया
	कापड़ी
	गोंधली

Following caste/community of Chhattisgarh in the Central list of OBCs

New Entry No.	Name of Caste/sub castes/synonyms, etc.
1.	Ahir
	Brajwasi, Gawli, Gawali, Goli, Lingayat-Gaoli, Gowari
	(Gwari), Gowra, Gawari, Gwara,
	jadav, Yadav, Raut, Thethwar, Gop/ Gopal.
2.	Asara
3.	Badhbhuja,
	Bhurji, Dhuri or Dhoori
4.	Bairagi
5.	Banjara
	Kachiriwala Banjara
	Laman Banjara
	Bamania Banjara
	Laman/ Lambani, Banjari
	Mathura, Mathura Labhan
	Mathura Banjari, Navi Banjara,
	Jogi Banjara, Nayak, Naykada
	Lambana/ Lambara
	Lambhani, Labhana
	Laban, Labana, Lamne,
	Dhuriya
6.	Barai
	Waarai
	Wari (Chaurasia)
	Tamoli
	Tamboli
	Kumavatt, Kumavat
7.	Barhai, Sutar, Suthar, Kunder, Vishwakarma
8.	Bharood

9.	Bhat
	Charan (Charahm)
	Sawli, Sutiya
	Rav
	Jasondhi
	Maru- Sonia
10.	Bhatiyara
11.	Bhurtiya
	Bhutiya
12.	Chippa, Chhipa
	Bhavsar
	Nilgar
	Jingar
	Nirali
	Ramgari
	Rangari
	Rangrez
	Rangarej
	Rangraz
	Rangredh
	Chippa-Sindhi-Khatri
13.	Chitari
14.	Chunkar
	Chungar/ Choongar
	Kulbandhiya
	Rajgir
15.	Dangi
16.	Dargi
	Cheepi/Chhipi/Chipi
	Shipi
	Mavi (Namdev)

17.	Deshwali
	Mewati
18.	Dhimar/ Dhimer
	Bhoi,
	Kahar,
	Kahra
	Dhiwar
	Mallah
	Nawda, Navda
	Turaha
	Kewat (Rackwar, Raikwar)
	Kir
	Britiya/ Vritiya
	Sondhiya
19.	Dhobi (excluding the area where they are listed as Scheduled Castes)
20.	Dholi
	Dafaali/Dufali
	Gurav/ Guraw
21.	Gadariya
	Kurmar
	Hatgar
	Hatkar
	Haatkaar
	Gaadri, Gadaria
	Gari,
	Gayari
22.	Garpagari
	Joginath, Nathjogi
23.	Ghoshi
24.	Goojar/ Gurjar
25.	Gusai/ Gosai/Gosain

	Gosaib
	Goswami/Gowsami
26.	Islamic Groups:
	1. Rangrej
	2. Bhishti, Bhishti-Abbasi
	3. Chippa/ Chhipa
	4. Hela
	5. Bhatiyara
	6. Dhobi
	7. Mewati, Meo
	8. Pinjara, Naddaf, Fakir/ Faquir, Behna, Dhunia, Dhunkar,
	9. Kunjara, Raine
	10.Manihar
	11.Kasai, Kasab, Kassab, Quasab, Qassab, Qassab-Qureshi
	12.Mirasi
	13. Barhai (Carpenter)
	14. Hajjam (Barber) Nai (Barber), Salmani
	15. Julaha- Momin, Julaha-Ansari, Momin-Ansari
	16. Luhar, Nagauri Luhar
	17. Tadavi
	18. Banjara, Mukeri, Makrani
	19. Mochi
	20. Teli Nayata, Pindari (Pindara)
	21. Kalaigar
	22. Pemdi
	23. Nalband
	24. Mirdha (Excluding Jat Muslims)
27.	Kachhi (Kushwaha/Koshwaha Maurya)
	Koyari/Koiri(Kushwaha), Shakya, Murai,
	Panara/Panahara, Sonkar
28.	Kadere/ Kadore
	Dhunkar,

	Dhuniya
29.	Kalar, Kalal
30.	Kalota/Kolta/Koltta
31.	Karmariya
32.	Kasabi/Kisbi
33.	Kharol
34.	Khatiya
	Khati
35.	Kirar
	Kirad
	Dhakar/Dhakad
36.	Koshta/ Kosta,
	Kosti/Koshti
	Devangan
	Dewang
	Salwidewang
	Mala,
	Padamhali
	Pademsali
	Sali
	Sutsali
	Salwar/Salewar
	Jendra/ Jandra
	Koskati
	Garhwal
	Garhewal
	Garewar
37.	Kotwar/ Kutwar
	Kotwal
38.	Kumhar (Prajapati)
	Kumbhar

39.	Kurmar/Kurami/Kurmi, Kunbi, Kurmi Patidar, Kulami, Kulmi,
	Kulambi, Gavel/Gabhel.
40.	Lakhera/Lakher, Kachera/Kacher
41.	Lodhi
	Lodha
	Lodh
42.	Lohar
	Luhar
	Lohpita
	Gadoley,
	Gadela
	Lohpata, Lohpeta
	Vishwakarma
43.	Loniya/Luniya/Lonia/Lunia
	Odh, Odhe, Odhiya, Ode, Odiya, Naaniya, Muraha,
	Muraaha, Mudaha, Mudaaha, Nunia, Nonia
44.	Mali (Saini), Marar
45.	Mankar
46.	Meru, Mer
47.	Nai (Sein, Savita, Shrivas), Mhali, Navhi/Navi
48.	Nayata, Nayada
49.	Panika
50.	Patka, Patki, Patwa
51.	Pinjara (Hindu)
52.	Powar
	Bhoyar/ Bhoyaar
53.	Raghwi/ Raghavi
54.	Rajwar
55.	Rautiya, Rotiya
56.	Saiees, Sahees
	Sayees

57.	Scheduled Castes who have embraced Christianity
58.	Sikligar
59.	Sodhi, Sudi, Sundi
60.	Sunar, Swarnakar,
	Jhhari, Jhhadi
	Awedhiya
	Audhiya
61.	Tarha, Tirwali, Waddar
62.	Teli (Rathore, Sahu)
63.	Thathara, Thatera
	Kasar
	Kasera
	Tamera
	Tambatkar/ Tamrakar
	Tamer
64.	Vasudev
	Basudeva,
	Basudev
	Vasudeva
	Harvola
	Kapdia
	Kapdi
	Gondhli

02. राज्य शासन की अनुसूची में सम्मिलित अन्य पिछड़े वर्गों की जातियाँ/समुदाय (नाम/परम्परागत व्यवसाय/ कैफियत)

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा म.प्र. में सम्मिलित पिछड़ा वर्ग की सूची जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 1997 को प्रकाशित को छत्तीसगढ़ गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठन पूर्व सम्मिलित जातियों की सूची का अनुकूलन किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिनांक 31/03/2011 तक किए गए संशोधनों का समावेश करके पिछड़े वर्ग की जाति /उपजाति /वर्ग यथा संशोधित सूची निम्नानुसार है -

सूची

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार,राउत गोवारी, रावत (ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन दुग्ध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैस आदि पशु चराना	''यादव'', अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है. अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती है व लिखती है. यादव राजपूत इसमें शामिल नही है. ब्राह्मण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नही हैं.
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	-
3.	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है. ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नही किये गये है .
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा,धरिया लभाना, लबाना लामने.	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति.	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राम्हण शामिल नही है .
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, (चौरसिया).	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा).	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना,लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	-
8.	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार .	विरुदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति.	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया हैं.
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नही हैं.
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता-पाठ व विरुदावली का गायन करना.	-
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.	कपड़ों में छपाई व रंगाई .	-
12.	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल,रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोधिंया.	मछली पकड़ना,पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना, पानी भरना, नाव चलाना.	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां है. इसी रूप में सम्मिलित किया गया है. कीर जाति भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों में अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं. जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है.
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार .	कृषि एवं कृषि मजदूरी .	इसमें पंवार/पवार राजपूत शामिल नही हैं.
14.	भुर्तिया, भुतिया .	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय.	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
15.	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हण है. सूची में शामिल किया गया है.
16.	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिय खाद्य पदार्थ तैयार करना है .	-
17.	चुनकर, चुनगर कुलवंधया, राजगीर	चूना,गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना .	-
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	-
19.	दर्जी, छीपी,छिपी, शिपी,मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	-
20.	धोबी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिलें में अनुसूचित जाति में शामिल है.
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा (विदिशा जिले की सिरोंज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राम्हण नहीं है. मीणा/मीना सिरोंज तहसील में अनुसूचित जनजाति में घोषित है.
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
23.	गड़रिया, धनगर, कुरमार हटगर, हटकर, हाटकार,गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले), गड़ेरी	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियॉ अपने को पाल व बघेले भी कहते है. पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रुप में शामिल किया गये है. बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं.
24.	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रुई धुनकरने का कार्य करना कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं.	

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
25.	कोष्टा, कोष्टी (देवांगन) कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढ़वाल, गढ़ेवाल,गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी .	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं.
26.	धोली/डफाली/डफली/ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है.
27.	गुसाई, गोस्वामी, गोसाई	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती	ब्राहम्ण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं है.
29.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा) .	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राहम्ण वर्ग सम्मिलित नहीं है.
30.	गारपगारी, नाथ-जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं . जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं. लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण है, वे शामिल नहीं है.
31.	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं.
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी,(स्वर्णकार) अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार).	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना .	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33.	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.	शाक-सब्जी उत्पादन व साग-सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी.	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(ब) माली (सैनी), मरार, पटैल (हरदिहा मरार)	शाक- सब्जी उत्पादन व साग-भाजी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	कुशवाहा राजपूत इसमें शामिल नहीं है. गाँव की मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया-धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं हैं .
34.	जोशी (भड्डरी) डकोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं. जोशी ब्राम्हण इसमें शामिल नहीं हैं.
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना	-
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर.	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना .	-
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	-
38.	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर).	मिट्टी के बर्तन बनाना .	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना,रीवा, सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार(कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू , कुंभी, गवैल (गमैल) सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू	कृषक, कृषि मजदूरी	-
40.	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	-
41.	कौरव, कांवरे	कृषक	-
42.	कलार (जायसवाल) कलाल, डडसेना	मदिरा (शराब) बेचना	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	-
44.	लोनिया, लुनिया,ओड़, ओड़े ओड़िया, नौनिया, मुरहा,मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा. नुनिया, नोनिया	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना.	-
45.	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे .	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप मे सम्मिलित की गई हैं.
46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	-
47.	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर).	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	''पनिका'' छतरपुर,पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, रीवा, सतना, सीधी व शहडोल जिले में जनजाति में शामिल हैं.
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	-
50.	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना .	-
51.	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को ''साहू'' व ''राठौर'' कहते हैं . राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52.	तुरहा, तिरवाली, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	-
53.	तवायफ, किसडी, कसडी	नाच-गाकर मनोरंजन करने वाले	-

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
54.	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति ''कोरकू'' की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है .
55.	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थीं.	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना.	मानकर की उपजाति ''निहाल'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57.	कोटवार, कोटवाल, (भिण्ड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोड़कर)	ग्राम चौकीदारी	''कोटवाल'' जाति को भिण्ड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58.	खैरुवा	कत्था बनाना	''खैरुवा'' खैरवार की उपजाति है. ''खैरवार'' अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
59.	लोढ़ा (तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन-यापन करना.	-
60.	मोवार, मौवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61.	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	-
62.	अघरिया	कृषक, कृषि, मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
63.	तिऊर , तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	-
64.	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगल काल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65.	सुत सारथी-सईस/सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	-
66.	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी हैं. विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती है.
67.	राघवी	कृषि कार्य करना	-
68.	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	-
69.	खारोल	कृषि मजदूर	-
70.	सरगरा	ढोल बजाना	-
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना.	-
72.	रज्जड़ रजझड़	कृषि मजदूरी	-
73.	जादम	कृषि मजदूरी	-
74.	दांगी	कृषक	''दांगी'' राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है.
75.	गयार/ परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले .	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
76.	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते है.
77.	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिले में आबाद है.
78.	बया महरा/कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशत: दुर्ग जिलें में निवास करते है.
79.	पिंजारा (हिन्दू)	-	-
80.	विलोपित	-	-
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनुसूचित जातियां जिन्होने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है.
82.	आंजना	-	-
83.	धोरिया	-	-
84.	गेहलोत मेवाड़ा	-	-
85.	रेवारी	-	-
86.	रूआला/रूहेला	-	-
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ो की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ो में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहत्तर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	-
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य.
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.	रुई धुनाई का कार्य	हिन्दुओं के कड़ेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा, राईन	साग-सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग-सब्जी का कार्य.
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसात खाने का सामान बेचना .	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरुदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा.
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	-
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं में लुहार/ लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	-
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/ समूह बैलगाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय.	हिन्दूओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले

क्र.	नाम जाति /उपजाति /वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(22) तेली, नायता, पिंड़ारी (पिंड़ारा) कांकर .	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
	(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	-
	(24) कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	-
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम .	-
	(26) शीशगर	-	-
88.	-		
89.	शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी	मदिरा बनाना एवं बेचना	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पायी जाती है।
90.	भूलिया-भोलिया	सूती कपड़ा बुनना	यह जाति मुख्यतः रायगढ़ जिले में उड़ीसा राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करती है।
91.	पोबिया	खेती मजदूरी	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है।

भाग-5

01- पिछड़ा वर्ग की अनुसूची में नवीन जाति के रुप में सम्मिलित होने हेतु आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारुप।

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

मैं, मध्यप्रदेश का वास्तविक रुप से स्थायी मूल निवासी हूँ। हमारी जाति/ वर्ग जिसे..... नाम से जाना जाता है, सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से एक पिछड़ी हुई जाति/ वर्ग है।

कृपया इसे पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित जाति/ वर्ग के संबंध में निर्धारित प्रपत्रानुसार जानकारी प्रेषित है :-

1. **सामान्य जानकारी :-**
   - (1) मुख्य जाति / वर्ग का नाम .....
   - (2) उपजातियाँ (यदि हो).....
   - (3) सरनेम या उपनाम जिन्हें नाम के साथ लिखा जाता हो .....
   - (4) वंश या गौत्र (जो प्रचलन मे हो) .....
2. **सामाजिक स्तर :-**
   - (1) उन जातियों/ वर्गों के नाम जिन्हें आप समान स्तर की मानते हैं तथा उनसे समान व्यवहार करते हैं (जैसे- खान-पान, रीति-रिवाज, पारिवारिक उत्सव) .....
   - (2) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां आप कच्चा भोजन स्वीकार करते हैं या समाज द्वारा मान्य है .....
   - (3) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां आप केवल पक्का भोजन स्वीकार करते हैं या समाज द्वारा मान्य है .....
     .....
     .....
   - (4) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके हाथ से आप केवल पेय जल स्वीकार करते हैं .....
   - (5) उन जातियों / वर्गों के नाम जिनके यहां कच्चा, पक्का हर तरह का भोजन स्वीकार करते हैं .....
3. **व्यवसाय या पेशा :-**
   - (1) क्या आपकी जाति या वर्ग वंश परम्परागत रुप से किसी व्यवसाय से संबंधित रहा है ? यदि हां तो व्यवसाय का उल्लेख करें.....
   - (2) आपके विचार से आपकी जाति या वर्ग का किसी विशेष व्यवसाय से संबंध रहने के पीछे क्या कारण हैं-
     .....
   - (3) क्या आप अभी भी उसी परम्परागत व्यवसाय में संलग्न है ? यदि नहीं, तो वर्तमान व्यवसाय का उल्लेख करें.....
     .....
   - (4) आपके विचार से अपने परम्परागत व्यवसाय को त्याग देने के पीछे क्या कारण है ? .....
     .....

(5) अपने परम्परागत व्यवसाय के कारण क्या आपको कभी हीनता का अनुभव हुआ है ? अथवा क्या उक्त व्यवसाय के कारण कभी समाज द्वारा आपको लांछन लगाया गया है .....

(6) यदि आपको अपनी पसन्द का व्यवसाय या रोजगार चुनने को कहां जाए तो आप किसे चुनना चाहेंगे - प्राथमिकता के क्रम से तीन नाम दें

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(7) यदि आपको अपने पुत्र का विवाह करना हो तो किन-किन जाति समूहों से आप कन्या लेना स्वीकार करेंगे (सभी का उल्लेख करें)

.....

(8) यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना हो तो किन-किन जाति समूहों के लड़के स्वीकार करेंगे ?

.....

(9) आपकी जाति के वैवाहिक या नातेदारी संबंध क्या स्थानीय समुदाय तक सीमित हैं या अन्य क्षेत्रों में फैले हुए है..... यदि अन्य क्षेत्रों में संबंध फैले हुए है तो उन क्षेत्रों का उल्लेख करे.....

(10) विवाह के समय लड़का या लड़की की औसत आयु क्या होती है ?

लड़का ..... वर्ष .....

लड़की ..... वर्ष .....

(11) आपके जाति समाज और वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतू पहल किस पक्ष द्वारा की जाती है ?

(अ) वर पक्ष

(ब) कन्या पक्ष

(स) या दोनों पक्षों द्वारा

(12) विवाह अथवा अन्य सामाजिक संस्कारों के अवसर पर पुरोहित का कार्य कौन करता है ? ब्राह्मण या अपनी ही जाति के व्यक्ति ?

.....

4. जाति या वर्ग संगठन :-

(1) क्या आपकी जाति का पृथक जाति संगठन है ? यदि हो तो निम्न जानकारी दें -

(अ) संगठन का नाम .....

(ब) मुख्य स्थापना तथा शाखाओं के स्थान .....

(स) स्थापना या गठन का वर्ष .....

(द) पदाधिकारियों के नाम एवं पते .....

(इ) जाति नियम .....

(2) जाति की उत्पत्ति के इतिहास एवं इसके संबंध में प्रचलित धारणाओं, लोक कथाओं का उल्लेख करें .....

.....

(3) यदि कोई ऐसी विशिष्टता है जो केवल आपकी जाति में ही पाई जाती हो या आपकी जाति की पहचान बन गई हो (उल्लेख करें)

(4) क्या अपनी जन्म जाति के कारण आपको या आपके समाज के किसी व्यक्ति की किसी अन्य जाति द्वारा कभी उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण दें .....

(5) क्या आपने इस आवेदन-पत्र के पूर्व कभी पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु आवेदन किया था ? यदि हां, तो उसका विवरण दें तथा अपने स्तर से किए गए प्रयास का उल्लेख करें .....

(6) पिछड़े वर्ग में शामिल होने हेतु किए गए प्रयास से क्या परिणाम निकले ? यदि आपको इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई हो तो उसकी प्रति संलग्न करें अथवा विवरण दें .....

5. शैक्षणिक स्तर :-

(1) कृपया अपनी जाति / वर्ग के सदस्यों के शैक्षणिक स्तर की निम्नानुसार जानकारी दें -

	पुरुष	महिला
(अ) हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की अनुमानित संख्या	.....	.....
(ब) स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त सदस्यों की संख्या	.....	.....

(2) जाति / वर्ग के सदस्यों को शिक्षा प्राप्त करने में क्या कभी कोई बाधा आई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?
.....

(3) जाति या वर्ग के उन सदस्यों की संख्या जो स्नातक होते हुए भी अभी तक रोजगार के अवसर के वंचित है।
.....

(4) क्या आप समझते हैं कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में आपकी जाति या वर्ग शैक्षणिक रुप से पिछड़ी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?
.....

6. शासकीय सेवा में नियोजन :-

(1) निम्न सेवाओं में जाति / वर्ग के सदस्यों की अनुमानित संख्या .....
(अ) आई.ए.एस. /आई.पी.एस. एवं समकक्ष पद .....
(ब) डिप्टी कलेक्टर तथा अन्य समान पद .....
(स) डॉक्टर, इंजीनियर एवं समान श्रेणी के अन्य पद .....
(द) तहसीलदार तथा राजपत्रित श्रेणी के अन्य पद .....

(2) शासकीय सेवाओं में जो लोग कार्यरत हैं, क्या उन्हें कभी अपनी जाति या वर्ग के कारण उपेक्षित होना पड़ा है? यदि हां, तो घटना का विवरण दें .....

(3) क्या आपके विचार से आपकी जाति या वर्ग का शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व संतोषजनक है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? .....

(4) शासकीय सेवाओं में आपकी जाति या वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने के लिए क्या सुझाव है ?
.....
.....
.....
.....

7. जनप्रतिनिधित्व :-

(1) कृपया अपनी जाति या वर्ग के उन व्यक्तियों की संख्या बताएं जो कि निम्न पदों पर निर्वाचित या चयनित होकर आये हों-

(अ) मंत्रिमंडल के सदस्य
(ब) लोकसभा / राज्यसभा सदस्य
(स) विधानसभा सदस्य
(द) पार्षद
(इ) जिला/जनपद अध्यक्ष

(2) क्या आपके विचार से उपरोक्त पदों पर आपकी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इनकी यथेष्ठ संख्या क्या होनी चाहिए ?

(3) उपरोक्त प्रतिनिधित्व के क्या कारण है? अपने विचार दीजिये .....

8. विशेष टीप :-

(यदि उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त किसी अन्य बिन्दु पर प्रकाश डालना चाहें तो यहां लिखे)

.....

.....

स्थान : ..... नाम .....

दिनांक : ..... पत्र व्यवहार का पता

.....

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण सत्य है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ।

साक्ष्य :

(1) नाम..... हस्ताक्षर .....

पता .....

(2) नाम..... हस्ताक्षर .....

पता .....

अनुशंसा :-

(यदि आवश्यक समझें तो जाति के गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अनुशंसा का उल्लेख करें)

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम.....

पद एवं नाम .....

.....

02- जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन क्यों एवं कैसे ?

विभिन्न शासकीय संस्थानों/उपक्रमों में फर्जी तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर अनारक्षित वर्ग द्वारा आरक्षित वर्गों के हितों/अधिकारों का हनन करने सम्बंधित विभिन्न शिकायते प्राप्त होने पर मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा जाति सम्बंधित फर्जीवाड़ा रोकने बाबत जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन राज्य स्तर पर किया गया है। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु छानबीन समिति द्वारा किया जाता है।

जाति सत्यापन किये जाने हेतु आवेदन भरने होते है जो कि आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था रायपुर से निःशुल्क प्राप्त होती है। आवेदन में परिवार संबंधी पूर्वजों/ गोत्र/ नाते रिस्तेदार /परंपरागत व्यवसाय आदि बहुत सारी जानकारीयाँ भरनी होती है। सुलभ सुविधा हेतु आवेदन प्रारुप संलग्न है। संलग्न प्रारूप अनुसार जानकारी संकलितकर सत्यापन हेतू आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में आवेदन पत्र पुर्तिकर जमा किया जाता है। इस सम्बन्ध में राजधानी रायपुर के मुख्य कार्यालय के अलावा तीन क्षेत्रीय ईकाई (कार्यालय) और खोले गये है, जो इस प्रकार हैं -

क्र.	कार्यालय का पता	
01	**मुख्य कार्यालय** आदिम जाति एवं प्रशिक्षण संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. परिसर के समीप, डी.डी. नगर, रायपुर 0771-2262606 / 2433560	श्री एल.के मिश्रा, संयुक्त संचालक (आ.जा.तथा अनु. एवं प्रशि. संस्थान, रायपुर) श्री आर. के सिदार, सहायक संचालक (अ.पि.व.) श्री जी.एम. झा, सहायक संचालक (अ.ज.जा) श्री के.पी. ध्रुव सहायक संचालक (अ.जा.)
01.	**क्षेत्रीय कार्यालय** आदिम जाति एवं प्रशिक्षण संस्थान, अंबिकापुर श्री वाय. एम. कुरैशी (उप संचालक) 98261-66225	
02.	**क्षेत्रीय कार्यालय** आदिम जाति एवं प्रशिक्षण संस्थान, जगदलपुर एन.एस. राजपूत (उप संचालक) 94242-82782	
03.	**क्षेत्रीय कार्यालय** आदिम जाति एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर पी.एल. चौधरी (उप संचालक) मो. 93002-01185	

जाति सत्यापन करवाने हेतु आवेदन का प्रारुप

प्रति,

उपाध्यक्ष एवं संचालक, छत्तीसगढ़ शासन
जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन बाबत् ।

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ..... बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेव्हलपमेंट तथा अन्य याचिका डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर बनाम लावेती गिरी के निर्णय में समस्त राज्य सरकारों को दिये गये दिशा-निर्देश सह पठित छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. /824/सा.प्र.वि./ आ.प्रा./एक/ दिनांक 14.02.2001 के परिपालन में मुझे ..... हेतु अपनी जाति-पत्र का सत्यापन कराना है ।

2. अनुविभागीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर ..... जिला ..... छ.ग. द्वारा दिनांक ..... की मुझे जारी किया गया है । अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु संलग्न है ।

3. मेरे पूर्वजों की जाति, पिछड़ा वर्ग संबंधी राष्ट्रपति नोटिफिकेशन दिनांक को वे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा के मूल निवासी थे, इसे सत्यापित करने हेतु ''सबूत'' के रुप में निम्नांकित अभिलेख संलग्न है :-

3.1 समिति के निर्धारित प्रपत्र में मेरे तथा पूर्वजों जो रिश्तेदारों के संबंध में जानकारी ।

3.2 पिता/पूर्वजों के मिसल अभिलेख की सत्यापित प्रति ।

3.3 पिता/पूर्वजों के स्कूल दाखिल-खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति ।

3.4 पूर्वजों के शैक्षणिक अभिलेख के सत्यापित प्रति ।

3.5 पिता/पूर्वजो के जाति प्रमाण पत्र ।

3.6 पिता/ पूर्वजों के निवास प्रमाण पत्र ।

3.7 मेरे पिता/पूर्वज दिनांक 26.12.1984 के पूर्व छ.ग. के मूल निवासी थे, तत्संबंधी सबूत अभिलेख .....

4. मेरे पिता के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु..... है । (आय प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

5. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सत्य हैं । असत्य होने पर भा.द.सं. की धारा 420 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 94 के निर्णय के कंडिका 14 एवं 15 के तहत मुझ पर कार्यवाही किया जावे ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

(नाम .....)
पिता का नाम .....
ग्राम/कस्बा .....
तहसील .....
जिला .....
पिन कोड ..... (छत्तीसगढ़)

03- जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र

प्रारुप

छत्तीसगढ़ शासन

जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति,

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

रायपुर (छत्तीसगढ़)

''जाति प्रमाण पत्र वैधता परीक्षण हेतु प्रपत्र''

1. जाति प्रमाण पत्र धारक की सामान्य जानकारी -

1.1 आवेदक का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

1.2 आवेदक के पिता का नाम एवं उपनाम : .....

1.3 आवेदक के पिता के पिता (दादाजी) का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

1.3.1 आपके दादाजी कहां के मूल निवास थे :
ग्राम .....
तह. .....
जिला .....
राज्य .....

1.4 आवेदक की माता का नाम एवं उपनाम : .....

1.5 आवेदक की मां के पिताजी (नानाजी) का नाम एवं उपनाम (स्पष्ट अक्षरों में) तथा गोत्र : .....

1.6 आवेदनकर्ता यदि महिला है तो पति का नाम उपनाम सहित (स्पष्ट अक्षरों में) : .....

2. निवास स्थान

2.1 आवेदक का वर्तमान निवास स्थान :-

2.1.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.1.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.1.3 विकासखण्ड : .....

2.1.4 तहसील : .....

2.1.5 जिला : .....

2.1.6 राज्य : .....

2.2 आवेदक का स्थाई निवास स्थान (मूल निवास स्थान)

2.2.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.2.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.2.3 विकासखण्ड : .....

2.2.4 तहसील : .....

2.2.5 जिला : .....

2.2.6 राज्य : .....

2.3 आपके पिता उक्त स्थाई पते पर कब से निवासरथ थे/ है : .....

2.4 (अ) आपका जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग का है ? .....हाँ/नहीं

(ब) यदि हां तो क्या आपका जन्म दिनांक 26.12.1984 के पूर्व का है ? .....हाँ/नहीं

(स) ब हाँ हो उक्त अंकित दिनांक को आपका मूल निवास स्थान कहां था, पूरा पता लिखें।

2.4.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.4.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.4.3 विकासखण्ड : .....

2.4.4 तहसील : .....

2.4.5 जिला : .....

2.4.6 राज्य : .....

2.5 यदि आपका जन्म उक्त बिन्दु 2.4 (ब) में अंकित दिनांक के बाद का है तो आपका जन्म दिनांक अंकित करें .

: .....

2.6 यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो दिनांक 26.12.1984 को आपके पिता/ पूर्वज कहां के मूल निवासी थे ?

2.6.1 ग्राम/कस्बा/शहर : .....

2.6.2 मोहल्ला एवं वार्ड क्रमांक : .....

2.6.3 विकासखण्ड : .....

2.6.4 तहसील : .....

2.6.5 जिला : .....

2.6.6 राज्य : .....

(उक्त की पुष्टि के रुप में अपने पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र/ पिता/पूर्वजों के राजस्व (मिसल) अभिलेख/ पिता/पूर्वजों के शैक्षणिक अभिलेक या अन्य तत्कालीन अन्य दस्तावेज प्रमाण का सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

2.7.1 आपके पिता जी छतीसगढ़ में कब से निवासरत हैं : .....

2.7.2 आप छत्तीसगढ़ में कब से निवासरत हैं : .....

3. शैक्षणिक जानकारी

3.1 स्वयं की शैक्षणिक जानकारी : .....

3.1.1 शैक्षणिक योग्यता : .....

3.1.2 संस्थायें जहां से आपने शिक्षा प्राप्त किया है : .....

क्र.	विवरण	प्राथमिक	पूर्व माध्यमिक	उच्चतर	महाविद्यालयीन माध्यमिक
1	2	3	4	5	6
1.	संस्था का नाम				
2.	ग्राम/कस्बा/शहर				
3.	विकासखण्ड				
4.	तहसील				
5.	जिला				
6.	राज्य				
7.	शिक्षा प्राप्त करने का वर्ष				

3.2 माता तथा पिता की शैक्षणिक जानकारी

3.2.1 माता शिक्षित हैं या अशिक्षित : .....

शिक्षिक हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता : .....

3.2.2 पिता शिक्षित हैं या अशिक्षित : .....

यदि शिक्षित हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता : .....

3.2.3 आपके पिताजी ने जिस शैक्षणिक संस्था से : .....

प्रारंभिक/ प्राथमिक परीक्षा पास की है तो उस : .....

शैक्षणिक संस्था का नाम व पूरा पता : .....

3.2.4 आपकी माताजी किस शैक्षणिक संस्था से प्रारंभिक : .....

प्राथमिक परीक्षा पास की है उस शैक्षणिक संस्था : .....

का नाम व पूरा पता : .....

3.2.5 आपके दादा जी शिक्षित थे या अशिक्षित : .....

4. आपके परिवार एवं निकट संबंधियों का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थायी संपत्ति (कृषि भूमि संबंधी जानकारी)

4.1 पिता के नाम में कृषि भूमि है अथवा नहीं हाँ/नहीं

4.2 यदि कृषि भूमि है/ थी तो उसका रकबा एवं : .....

स्थान का पूरा पता लिखिये : .....

4.3 क्या आपके पिता के पिताजी (दादाजी) के

नाम पर छत्तीसगढ़ में भूमि थी अथवा है हाँ/ नहीं

4.4 यदि है तो उसका एकबा एवं पूर्ण विवरण पता दीजिए : .....

: .....

4.5 आपकी माताजी के पिताजी (नानाजी) के

नाम पर छत्तीसगढ़ में भूमि थी/ है हाँ/नहीं

4.6 यदि हाँ तो उसका रकबा एवं पूरा पता दीजिये : .....

5. जातिगत जानकारी

5.1.1 आपके पिता की जाति : .....

5.1.2 उपजाति : .....

5.1.3 गोत्र : .....

यदि प्रमाण पत्र धारक यदि महिला हो तो :-

5.2.1 आपके पति का नाम : .....

5.2.2 उपनाम (सरनेम) : .....

5.2.3 जाति : .....

5.2.4 गोत्र : .....

6. जातिगत व्यावसायिक जानकारी (अर्थोपार्जन के साधन)

6.1 आपकी जाति का परंपरागत व्यवसाय : .....

6.2 आपके पिताजी का व्यवसाय (अर्थोपार्जन) : .....

6.3 आपके पिता के पिताजी का व्यवसाय (अर्थोपार्जन) : .....

6.4 आपकी माताजी के पिता का व्यवसाय : .....

6.6 आपके पति/पत्नी के आजीविका के साधन : .....

7. सामाजिक, धार्मिक एवं रीति-रिवाज संबंधी जानकारी

7.1 आपकी मातृभाषा : .....

7.2 क्या आपकी जाति की अलग बोली है हाँ/नहीं

यदि हाँ तो कौन सी : .....

7.3 आपकी कुलदेवी/ कुलदेवता का नाम : .....

7.4 आपकी जाति के के प्रमुख देवी/देवता का नाम : .....

7.5 आपकी जाति के लोकनृत्यों का नाम : .....

7.6 आपकी जाति के लोकगीतों का नाम : .....

7.7 आपकी जाति के प्रमुख त्यौहारों का नाम : .....

7.8 आपकी जाति में वधु मूल्य प्रथा प्रचलित है ? : .....

7.9 क्या आपकी जाति में दहेज प्रथा प्रचलित है ? : .....

7.10 उन जातियों के नाम/ गोत्र लिखिये जिनके साथ आपके जाति के लोगों का वैवाहिक (बेटी लेन-देन) संबंध होता है। : .....

7.11 उन जातियों के नाम लिखिए जिनसे आपकी जाति का रोटी संबंध (खान-पान) होता है। : .....

7.12 आपकी जाति के समकक्ष जातियों के नाम : .....

8. धर्म

8.1 आपके पिता का धर्म : .....

8.2 आपका धर्म : .....

9. अपने निम्नलिखित रिश्तेदारों के संबंध में पूर्ण जानकारी दीजिये :-

क्र.	विवरण	पिता के भाई	माता के भाई	मौसा	पिता के बहन का पति	पत्नि के पिता
1	2	3	4	5	6	7
9.1	नाम					
9.2	जाति					
9.3	उपजाति					
9.4	गोत्र					
9.5	व्यवसाय					
9.6	निवास ग्राम/कस्बा					
9.7	तहसील					
9.8	जिला					

मैं सत्यनिष्ठ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक :

स्थान :

(जाति प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर)

पूरा नाम .....

पता .....

.....

.....

भाग-6

01. अन्य पिछड़ा वर्ग के समग्र हितार्थ हेतु शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं

(अ) शैक्षणिक विकास की योजनायें :-

1. राज्य छात्रवृत्ति :

कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु निम्नांकित दरों पर राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

कक्षा	बालक	बालिका
कक्षा 6 वीं से 8 वीं	150/-	225/-
कक्षा 9 वीं से 10 वीं	225/-	300/-

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जिनके पालक आयकर दाता न हो या जिनके पास 10 एकड़ से कम कृषि भूमि हो उन्हें राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता है।

2. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :**

पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक की वार्षिक आय 9000/- तक हो उन्हें पूरी एवं जिनकी वार्षिक आय रुपये 9001/- से 25000/- तक हो उन्हें आधी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

क्र.	समूह कक्षा		गैर छात्रावासी		छात्रावासी	
			बालक	बालिका	बालक	बालिका
01	मेडिकल तथा इंजीनियर	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	210	220
		तृतीय वर्ष	105	115	210	225
	बी.व्ही.एस.बी.एस.सी.कृषि	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	185	195
		तृतीय वर्ष	105	115	185	200
02	डिप्लोमा कोर्सेस इंजीनियर मेडिकल कॉलेज टेक्नोलॉजि तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	125	135
		तृतीय वर्ष	105	115	130	145
03	सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्नोलॉजि तथा पोस्ट ग्रेजुयेट इन आर्टस एण्ड कामर्स	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	100	110	125	135
		तृतीय वर्ष	105	115	130	145
04	जनरल अपटू ग्रेजुयेट लेवल के बाद	प्रथम वर्ष, द्वितीय व	55	70	100	110
		तृतीय वर्ष	70	85	115	130
05	कक्षा 11 वीं, 12वीं	कक्षा 11 वीं	50	60	100	110
		12 वीं	55	70	100	110

(ब) सामाजिक एवं आर्थिक सहायता की योजनाएँ : स्वरोजगार मूलक वित्तीय सहायता योजना :

पिछड़े वर्ग एवं अल्प संख्यकों के लिए ऋण सुविधायें :-

पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक वित्त विकास निगम द्वारा आरक्षित वर्ग के लोगों को निम्नांकित व्यवसाय हेतु ऋण एवं अनुदा प्रदान किया जाता है। गरीबी एवं दुगुनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को आटो रिक्शा, रेडीमेड दुकान, कार वर्क शॉप, आटो स्पेयर पार्ट्स आदि विभिन्न योजनाओं के लिए 80% ऋण दिया जाता है।

(स) व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना -

1. **निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण :**

छत्तीसगढ़ राज्य में अर्न्तव्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर पिछड़े वर्ग के युवक- युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2. **एअर होस्टेस एवं पालयट प्रशिक्षण :**

एअर होस्टेस प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

3. **युवा कैरियर निर्माण योजना :**

अ.जा. एवं अ.ज.जा.वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर एवं बिलासपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित होंगे।

सरोवर धरोहर योजना :-

शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार, गहरीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सरोवर धरोहर योजना आरंभ की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रु. 9.10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस योजना का लाभ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मिला है।

ज्ञानस्थली योजना :-

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्राथमिक शाला के लिए 3 लाख रुपए, माध्यमिक शालाओं के 5 लाख, उच्चतर माध्यमिक शालाओं के 7 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 8 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है।

उन्मुक्त खेल मैदान योजना :-

राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने हेतु यह योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 7.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

पुष्प वाटिका उद्यान योजना :-

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कालोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने हेतु पुष्पवाटिका उद्यान योजना लागू की गई है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर रु. 11.05 लाख का प्रावधान किया गया है

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :-

राज्य शासन द्वारा 1 जुलाई 2003 से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत चबूतरों का निर्माण किया जाता है। उक्त निर्माण हेतु नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। निर्मित दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारत न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन किया जाता है।

महिला समृद्धि बाजार योजना :-

राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना के अंग के रुप में प्रदेश की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को सस्ता सुरक्षित एवं मूलभूत सुविधा युक्त बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल, श्रम द्वारा तैयार उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से

महिला समृद्धि बाजार योजना प्रथम चरण में प्रदेश में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित दुकानों की लागत को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

श्यामाप्रसाद मुखर्जी युवा जन विकास योजना :-

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 35 वर्ष जो कम से कम 7वीं (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) आयु वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों का चयन कर विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन द्वारा उनके कौशल एवं दक्षता में वृद्धि कर उन्हें सम्मानजनक जीवकोपार्जन उपलब्ध कराना है।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना :-

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने हेतु 6 निकायों में ट्रांसपोर्ट नगर योजना प्रारंभ की गई है।

गोकुल नगर योजना :-

नगर में स्थित डेयरी व्यवसाय को शहर के बाहर व्यवस्थित रुप से बसाने हेतु राज्य शासन द्वारा गोकुल नगर योजना आंरभ की गई है।

राज्य प्रवर्तित नवीन योजनाएं :-

विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आम जनता की सुविधा की दृष्टि से नवीन योजनाएं जनवरी 2006 से प्रारंभ की गई है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है-

प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना- द्वितीय चरण :-

राज्य में सड़क मार्ग ही आवागमन के मुख्य साधन होने के कारण बस स्टैण्ड निर्माण करने हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी थी। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना- द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक प्रसाधन योजना :-

नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय जैसी आवश्यक जन सुविधाओं की कमी को देखते हुए समस्त नगरीय निकायों में शत-प्रतिशत अनुदान देकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है।

मुक्तिधाम निर्माण योजना :-

शहरी क्षेत्र के सभी धर्मो के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत क्रिमेशन शेड, आर.सी.सी. रोड स्टोरेज एरिया, गार्डन, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण एवं चौकीदार क्वार्टर एवं वाहन पार्किंग जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु निगमों में रु. 12.00 लाख, नगर पालिकाओं में रु. 10.00 लाख एवं नगर पंचायतों हेतु रु. 9.00 लाख के मुक्तिधाम निर्माण की योजना है।

कुशाभाऊ ठाकरे युवा जन विकास योजना :-

शहरों में निवासरत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओ/महिलाओ को अपारंपरिक क्षेत्रों और बाजार रोजगार की मांग के अनुरुप उनकी दक्षता एवं तकनीकी कौशल में वृद्धि कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी युवा शक्ति को उत्पादक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में यह योजना वर्ष 2007-08 में लागू की गई है।

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :-

वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई इस नवीन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में एवं आसपास के ग्रामों में असंगठित रुप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकापार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु नगरों में लगने वाले हाट बाजार की व्यवस्था प्रचलित है। इसी व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में एक-एक बड़ा स्थान हाट बाजार के रुप में विकसित किया जाए, जिसमें नीलामी

चबूतरा, चबूतरे के निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश, जल ड्रेनेज एवं सार्वजनिक प्रसाधन के निर्माण का प्रावधान है। इस योजनांतर्गत नगर निगमों को रु. 100,00 लाख, नगर पालिका परिषद को रुपए 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रुपए 40.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना :-

11 फरवरी 2009 को पंडित दीनदयाल उपाध्यय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में किसानों के लिये दीनदयाल कृषक सुरक्षा बीमा योजना की घोषणा की। जो 1 अप्रेल 2009 से लागू की जायेगी। इसके तहत किसानों को अब सिर्फ 4 रुपये 20 पैसे में एक लाख रुपये तक बीमा सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेश कंपनी से 21 रु. प्रीमियम की वार्षिक किस्त पर राज्य शासन किसानो का दुर्घटना बीमा कराएगा जिसमें प्रीमियम की इस राशि में सिर्फ 4 रु. 20 पैसा का अंशदान किसानो के द्वारा दिया जायेगा। जबकि शेष 16 रु. 80 पैसे राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण :-

त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षित कर दी गई है। विदित हो कि पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन किया गया है।

मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार :-

अक्टूबर 2009 से भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम ऐसा राज्य बन गया है जहाँ बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के उत्पादन और उसके पैकेट तैयार करने का लघु और कुटीर उद्योग महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जा रहा है। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के विशेष अभियान के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला स्व-सहायता समूह को मुख्यमंत्री शिशु शक्ति और मुख्यमंत्री महतारी शक्ति के ब्रांड नामों से पौष्टिक आहार बनाने का काम सौपने का निर्णय लिया है। विदित हो कि प्रदेश में इस समय 34 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ :-

अगस्त 09 को एकमात्र स्थान बस्तर जिले के जगदलपुर परियोजना (विकासखण्ड जगदलपुर) में 'पायलेट प्रोजेक्ट' के रुप में धनलक्ष्मी योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करने व बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। योजना के सफल परिणाम आने पर इसे सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

किसान कॉल सेन्टर :-

छत्तीसगढ़ सहित देश भर के किसानों की कृषि संबंधित समस्याओं तथा शिकायतों का निराकरण करने हेतु राज्य शासन ने किसान कॉल सेन्टर की स्थापना की है। इस कॉल सेन्टर पर किसानों को 1551 नं. पर फोन करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

पांच हार्सपावर तक सिंचाई पंपो के लिए निःशुल्क बिजली :-

02 अक्टूबर 2009 से छत्तीसगढ़ राज्य शासन राज्य के 1 लाख 39 हजार कृषि पंपो के लिए मुक्त बिजली प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण मेडिकल कोर योजना :-

15 अगस्त 2009 से छत्तीसगढ़ शासन गाँवों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारंभ किये है।

छत्तीसगढ़ी में आवेदन :-

छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता दी जाने के तहत् अब छत्तीगसढ़ी भाषा में भी आवेदन राज्य शासन के विभाग स्वीकार करेंगे। पुलिस विभाग छत्तीसगढ़ी भाषा में आवेदन पत्र स्वीकार करने वाला राज्य का प्रथम शासकीय विभाग बना।

आवश्यक वस्तु नियंत्रण आदेश 2009 राज्य में लागू:-

राज्य सरकार ने जरुरी वस्तुओं की कीमतो में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए मंहगाई और जमाखोरी पर अंकुश लगाते हुए छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बंधन) आदेश 2009 6 अगस्त 09 से राज्य में लागू कर दिया। इस नियंत्रण आदेश के तहत राज्य में दाल, चॉवल, खाद्य तेल के बीज और खाद्य आदि के व्यापार को नियंत्रित किये जाने के प्रावधान किये गये है।

शक्ति स्वरुपा योजना का शुभारंभ :-

राज्य में बस्तर संभाग के 4 जिलो बस्तर, दन्तेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर का चयन शक्ति स्वरुपा योजना के लिए किया गया है। अगस्त 2009 से प्रारंभ इस योजना में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाएगा। योजना में हितग्राही महिला यदि स्वयं का कोई व्यवसाय शुरु करना चाहती है तो वह जिला कार्यक्रम अधिकारी या जिला महिला एवं बाल विकास अधिकार समक्ष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। उपयुक्त पाये जाने पर विभाग द्वारा ऋण के स्वीकृति के लिए प्रस्ताव बैंक को प्रेषित किया जायेगा। व्यवसाय के लिए सब्सिडी की सीमा अधिकतम 30 हजार रु. तक होगी।

ज्ञान ज्योति योजना :-

छत्तीसगढ़ के सभी 85 आदिवासी विकासखण्डों में 1 किमी. के दायरे में कम से कम 10 बच्चो पर एक नवीन प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए शुरु की गई योजना ज्ञान ज्योति योजना है।

छत्तीसगढ़ गौरव योजना :-

स्वाधीनता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के गृह ग्राम कंडेल में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य शासन की छत्तीसगढ़ गौरव योजना की शुरुआत की।योजना के तहत प्रदेश के स्वाधीनता सेनानियों के गृह ग्राम का चयन किया गया है ।

ग्रामीण इंजीनियर योजना :-

छत्तीसगढ़ में मामूली पढ़े लिखे ग्रामीण नौजवान भी अब 'इंजीनियरो' की तरह भवन निर्माण तथा घरेलू विद्युतीकरण जैसे कार्यों में स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार हासिल कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना :-

हृदय रोग से पीड़ित गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए इस तरह की योजना प्रारम्भ करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। इस योजना के तहत हृदय से सम्बन्धित सात प्रकार की बीमारियों का ईलाज किया जाता है। इस योजना के तहत हृदय रोग से पीड़ित एक वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक आयु समूह के बच्चों के हृदय का आपरेशन अनुबंधित निजी अस्पतालों में किया जा रहा है। हृदय की शल्य क्रिया के साथ ही हृदय के वाल्व भी इस योजना के अन्तर्गत बदले जाते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गरीबी रेखा का कोई बंधन नहीं रखा गया है कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के जरूरतमंद बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है।

मछुआरा आवास योजना :-

इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के पांच जलाशयों पर मछली पकड़ने वाले और मछलीपालन करने वाले मछुआरों को आवास, पेयजल आदि आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मछुआरा आवास योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत कोरबा जिले के हसदेव बांगो, महासमुंद जिले के कोडार, बिलासपुर जिले के खुंटाघाट और खुड़िया जलाशयों के समीप मछुआरों के लिए मकान का निर्माण किया जा रहा है।

ग्रामोत्थान योजना :-

छत्तीसगढ़ में पशुपालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से ग्रामोत्थान योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में पशु नस्ल सुधार कार्यक्रमों में स्थानीय चरवाहों को शामिल कर राज्य सरकार द्वाराउन्हें पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान और देशी नाटों के बधियांकरण पर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। यह योजना 2008-09 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना से राज्य के डेढ़ लाख से अधिक चरवाहे लाभान्वित होंगे।

ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान :-

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण गरीब युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार व प्रशिक्षण संस्थान अगस्त 2009 से प्रारम्भ किये गये है।

छत्तीसगढ़ अमृत नमक निःशुल्क वितरण की अभिनव योजना :-

प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों एवं गरीबों को नमक के नाम पर होने वाले शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए केवल 25 पैसे प्रतिकिलों की दर से आयोडीनयुक्त छत्तीसगढ़ अमृत नमक वितरण की अभिनव योजना 26 जनवरी 2004 से प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 1 अप्रैल 2009 से यह अमृत नमक निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है।

राइट टू फूट एक्ट शीघ :-

23 जुलाई 2009 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा देने भोजन का अधिकार (राइट टू फूट एक्ट) कानून शीघ्र बनाया जा रहा है। यह कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य होगा।

प्रदेश के साढ़े तीन लाख नि:शक्तों के लिए नि:शक्तजन वित्त विकास निगम के गठन का निर्णय। नि:शक्तों को 50 हजार रूपए तक ऋण बिना ब्याज व गारंटर के दिया जाएगा। छत्तीसगढ़, यह निगम गठित करने वाला तीसरा राज्य है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना का शुभारंभ 16 जनवरी 2008 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ए.पी.एल. एवं बी.पी. एल.कार्ड धारकों को क्रमशः एक रूपये तथा 2 रूपये में 35 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है। नवीन व्यवस्था के तहत 30चावल के साथ-साथ उसी दर पर 5 किलो गेहूँ भी मिलेगा।

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना :-

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग की अभिनव योजना के अन्तर्गत राज्य की किसी वस्तु की खरीदी के समय क्रय बिल लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु केवल उपभोक्ता ही पात्र होंगे।

भागीरथी नल जल योजना :-

10 सितम्बर 2009 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत राज्य के शहर की तंग बस्तियों में रहने वाले ढ़ाई लाख गरीब परिवारों को मुक्त में नल कनेक्शन दिया जायेगा।

मेक्रोमेनेजमेंट वर्क प्लान : एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (धान आधारित फसल पद्धति) :-

धान सफल की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से यह योजना पूरे राज्य में लागू है। इस योजनान्तर्गत प्रजनक बीज खरीदी, बीज उत्पादन, बीज वितरण, पोषक तत्व, प्रदर्शन, कृषि उपकरण एवं प्रशिक्षण घटकों के अंतर्गत कृषकों को अनुदान एवं सहायता प्रदान की जाती है।

गन्ना आधारित फसल पद्धति विकास कार्यक्रम :-

यह योजना प्रदेश में गन्ना के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत कृषकों को गन्ना प्रजनक बीज खरीदी, बीज उत्पादन, बीज खरीदी, कृषि आदान, कृषि उपकरण एवं प्रशिक्षण पर अनुदान दिया जाता है।

देश का पहला गौ मूत्र बैंक -

छत्तीसगढ़ में देश का पहला गौ मूत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। बैंक पशुपालक के पांच रुपये प्रति लीटर की दर से गौ मूत्र खरीदेगा। किसानों को गाय पालन के लिए प्रोत्साहित करने की नीति के तहत गौ मूत्र बैंक की स्थापना की जा रही है। इससे पशुपालक को प्रति गाय गौ मूत्र से रोजाना 25 से 35 रुपये की आमदनी होगी।

संतुलित एवं समन्वित उर्वरक उपयोग :-

उर्वरकों के संतुलित उपयोग कृषि की उत्पादकता एवं सतत् विकास के लिए अतिआवश्यक है। इस योजनान्तर्गत मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रदर्शन, स्वायल हेल्थ कार्ड एवं सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक सल्फेट) अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराये जाते है।

आइसोपाम दलहन :-

इस योजनान्तर्गत दलहनी फसलों के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को प्रजनक बीज खरीदी, आधार एवं प्रमाणित उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव नियंत्रण, पौध संरक्षण औषधि, नींदानाशक तथा बीजोपचार औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाईप, ब्रॉडकास्टर, बैल चलित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

आइसोपाम तिलहन :-

इस योजनान्तर्गत तिलहनी फसलों के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को प्रजनक बीज खरीदी, आधार एवं प्रमाणित उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव नियंत्रण, पौध संरक्षण औषधि, नींदानाशक तथा बीजोपचार औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाईप, ब्रॉडकास्टर, बैल चलित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

आइसोपाम मक्का :-

इस योजनान्तर्गत मक्का फसलों के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को प्रजनक बीज खरीदी, आधार एवं प्रमाणित उत्पादन एवं प्रमाणित बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैव नियंत्रण, पौध संरक्षण औषधि, नींदानाशक तथा बीजोपचार औषधि, पौध संरक्षण यंत्र, स्प्रिंकलर, सिंचाई पाईप, ब्रॉडकास्टर बैल चलित यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराना साथ ही तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषकों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करना।

बायोगैस :-

इसे सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राणियों के उत्सर्जित पदार्थ, पौधे व उद्योगो के अवशिष्ट को डायजेस्टर पर कम से कम ताप पर चलाया जाता है जिससे माइक्रोव निकलते इससे बायोगैस ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को घरो में खाने पकाने व प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग में लिया जाता है। बायोगैस का उपयोग प्रदेश के छोटे-छोटे गाँवों में होने लगा है।

आत्मा :-

कृषि के स्थाई व एकीकृत विकास तथा कृषकों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि एवं सम्बद्ध विभाग यथा पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, सहकारिता द्वारा संचालित योजनाओं में कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर पर उपयुक्त योजनाएं तैयार करने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु आत्मा (एग्रीकल्चरल टेक्नालॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) एक स्वायत्तशाही संस्था है जिसमें कृषि अनुसंधान प्रसार को कृषक लिंकेज के आधार पर गांव स्तर पर ही आंकलन कर योजना कृषक समूह निर्माण कर संचालित की जाती है।

किसान समृद्धि योजना :-

वृष्टिछाया क्षेत्र के लिये राज्य शासन की महत्वाकांक्षी किसान समृद्धि योजना प्रदेश के 5 जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम एवं राजनांदगांव के 25 विकासखण्डों में लागू है, नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन हेतु सामान्य कृषकों को 25000/- एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को 43000/- रुपये अनुदान देय है।

लघु सिंचाई (नलकूप) योजना :-

प्रदेश के कृषकों को नलकूप के माध्यम से निजी सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 18000/- रुपये अनुदान को बढ़ाकर 25000/- रुपये अनुदान की नलकूप योजना संचालित है।

शाकम्भरी योजना :-

सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषक विशेषकर सब्जी उत्पादक कृषकों को 5 हार्स पावर तक के विद्युत एवं डीजल पंप क्रय करने पर इकाई लागत रु. 15500 पर 75 प्रतिशत अनुदान एवं कुंआ निर्माण हेतु इकाई लागत रु. 34200 पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

लघुत्तम सिंचाई योजना :-

वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु छोटे तालाब तथा भू-जल स्तर में वृद्धि करने के लिये परकोलेशन टैंक/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण की लघु सिंचाई योजना।

नापेड विधि से गोबर/ कम्पोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम :-

भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को 1200/- रुपये, अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को 800/- रुपये तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को 400/- रुपये प्रति टांका अनुदान दिया जाता है।

वानस्पतिक ईधन विकास कार्यक्रम :-

बंजर एवं पड़ती भूमि में बायोफ्यूल पौधरोपण कर डीजल प्राप्ति एवं अतिरिक्त आमदनी के उद्देश्य से योजना क्रियान्वित।

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम :-

वर्षा आश्रित क्षेत्र में भूमि एवं जल को संरक्षित, संवर्धित करते हुये कृषि के एकीकृत विकास की योजना। जिसमें भूमि/जल संरक्षण के साथ-साथ फसल विधियों के विकास, फसल उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि के प्रयोग, उद्यान एवं चारागाह विकास, गृह वाटिका विकास तथा स्व.-सहायता समूहों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है।

नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मूलन योजना :-

महानदी पर बने हीराकुण्ड बांध के कैचमेंट में जल एवं भूमि संरक्षण का कार्य कर सील्ट डिपाजिट को कम कर बांध की आयु बढ़ाने की दृष्टि से योजना प्रदेश के राजनांदगांव, दुर्ग, कबीरधाम एवं बिलासपुर जिलों में संचालित।

आइसोपाम योजना :-

दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि हेतु आइसोपास योजना संचालित है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित है।

राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना :-

कृषि में रसायनों के अंधाधुंध एवं अनियमित प्रयोग से भूमि एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव को बचाने एवं काश्त लागत को कम कर उच्च गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम स्वीकृत।

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना :-

प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फसल बीमा योजना राज्य में लागू। जिसके अंतर्गत प्रमुख फसलें जैसे-धान सिंचित/असिंचित, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, कोदो-कुटकी, तुअर, तिल, गेहू सिंचित/असिंचित, अलसी, राई-सरसों चना एवं आलू फसलों के लिये फसल बीमा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन :-

इस योजना का उद्देश्य फसल चांवल, गेहूँ एवं दलहन के क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्धिकर लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि कार्य को प्रोत्साहित करना है।

भाग-7

01. वर्ष 2010 से 31 मार्च 2011 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित नवीन जातियों का विवरण

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करने बाबत् आवेदन प्राप्त करता है। आयोग को वर्ष 2010-11 में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में सम्मिलित होने के लिए अनेक आवेदन प्राप्त हुए। आयोग ने प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए प्रारम्भिक स्तर पर आवेदन का परीक्षण किया। आवेदन के आधार पर सम्बन्धित जाति के निवासरत जिलों के कलेक्टरों को जाति के निवास सम्बन्धी अभिमत बाबत् पत्र प्रेषित किया एवं जातियों के निवासरत ग्रामों/ विकासखण्डों /तहसीलों की सूचना एकत्रित की गयी। आवेदित जातियों के उद्भव सम्बन्धी पुस्तकों एवं प्रकाशित अन्य तथ्यों के माध्यम से जातियों का पुस्तकीय प्रतिवेदन तैयार किया गया। पुस्तकीय प्रतिवेदन के सन्दर्भ में आयोग के अनुसंधान दल द्वारा जनसंख्या के आधार पर भौगोलिक निवास स्थान, आर्थिक जीवन, सामाजिक विकास का अध्ययन एवं रहन-सहन, भाषा-बोली, शिक्षा के स्तर का सूक्ष्मता से अनुसंधान किया गया एवं जातियों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर शोचनीय (पिछड़ा हुआ)स्थिति में पाये जाने पर सम्बन्धित जाति को छ.ग. की अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों की सूची सम्मिलित करने बाबत् छ.ग. शासन को अनुसंशा प्रेषित की गई। वर्ष 2010 से 31 मार्च 2011 तक अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित जातियां इस प्रकार है -

क्र.	जाति का नाम	अनु. क्र.	छ.ग. की सूची शामिल दिनांक
1.	नाथयोगी	30	26 मई 2010
2.	कुन्बी	39	03 जुलाई 2010
3.	बरेठ	20	27 अगस्त 2010
4.	मौवार	60	27 अगस्त 2010
5.	गोसाई	27	14 सितम्बर 2010
6.	गोपाल	01	14 सितम्बर 2010
7.	राजभर	68	14 सितम्बर 2010
8.	चंदनाहू,चन्नाहू, चन्द्रनाहू	39	14 सितम्बर 2010
9.	नुनिया ,नोनिया	44	22 सितम्बर 2010

नाथयोगी जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत नाथयोगी जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत नाथयोगी जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 30 पर स्थापित किया गया।

कुन्बी जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत कुन्बी जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत कुन्बी जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 39 पर स्थापित किया गया।

मौवार जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति कोछ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत मौवार जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत मौवार जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 60 पर स्थापित किया गया।

गोसाई जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत गोसाई जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत गोसाई जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 27 पर स्थापित किया गया।

गोपाल जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत गोपाल जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत गोपाल जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 01 पर स्थापित किया गया।

राजभर जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत राजभर जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत राजभर जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 68 पर स्थापित किया गया।

चन्नाहू, चन्दनाहू जाति के समाज प्रमुखों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा छ.ग. में निवासरत चन्नाहू, चन्दनाहू जाति के निवास स्थानों का क्षेत्र अनुसंधान किया गया। एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी। छ.ग. में निवासरत चन्नाहू, चन्दनाहू जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पिछड़ा होने पर आयोग द्वारा शासन को अनुशंसा प्रेषित की गयी जिसके आधार पर इस जाति को पिछड़े वर्ग के अनुक्रमांक 39 पर स्थापित किया गया।

02- छ.ग. निर्माण के उपरांत आयोग द्वारा निराकृत शिकायतों का विवरण वर्षवार शिकायतों का निपटारा

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़े वर्गों /समुदाय के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए हितप्रहरी के रूप में कार्यकरने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों की समूचित निगरानी व क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होता है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा शैक्षणिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के राज्य की सूची में शामिल करने सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही की जाती है तथा पिछड़ा वर्ग में सम्पन्न वर्ग की पहचान को रेखांकित आधार पुनरावलोकन करने सम्बन्धी आवेदन पत्र पर विचार किया जाता है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए शासन द्वारा बनायी योजनाओं एवं पदत्त सुविधाओं की निगरानी के क्रियान्वयन सम्बन्धी अनियमितता की शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है तथा लोकसेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण वृद्धि / कमी के सम्बन्ध में भी शिकायतें सुनी जाती है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने गठन के उपरांत शिकायतों एवं आवेदनों पर निरंतर कार्यवाही करता रहा है। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्रों में आयोग के अनुसंधान दल द्वारा भ्रमण कर अनेक आवेदनों पर जाँच की जाती है। आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों पर कार्यवाही कर संक्षिप्त गोशवारा इस प्रकार है -

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	निराकृत प्रकरण	प्रक्रियाधीन प्रकरण
1	2	3	4
23 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2008	36	36	00
1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009	45	44	01
1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010	39	30	09
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011	23	13	10
योग	143	123	20

03- राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 2010 -11 में निराकृत प्रकरणों का विवरण :-

श्री बी. एल. साहू , सहायक शिक्षक, विद्युत गृह पूर्व माध्यमिक विद्यालय, विद्युत नगर, दर्री (कोरबा) द्वारा आयोग में 28.06 .2010 को शिकायत पत्र प्रस्तुत करते हुए आयोग से कार्यवाही का निवेदन किया था। श्री बी. एल. साहू द्वारा सचिव विद्युत नगर कोरबा पश्चिम के विरूद्ध शिकायत की गई थी कि, विद्युत गृह शिक्षा समिति कोरबा (पश्चिम) द्वारा संचालित पूर्व माध्य. विद्यालय विद्युत नगर में कला समूह में अनारक्षित वर्ग के दो रिक्त पदों पर कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत करते हुए उन्हें वरिष्ठ होने के बाद भी पदोन्नति से वंचित रखा गया उनसे कनिष्ठ को पदोन्नति दी गई है।

आयोग द्वारा शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सचिव, विद्युत नगर शिक्षा समिति, कोरबा, विद्युत नगर दर्री, कोरबा (पश्चिम) को तलब कर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 04.03.2011 को समिति के प्रतिनिधि के रूप में कमलेश सिंह, कार्यकारिणी सदस्य, विद्युत नगर शिक्षा समिति कोरबा (पश्चिम) विद्युत नगर दर्री, कोरबा द्वारा आयोग में उपस्थित होकर बयान दिया गया। बयान में कमलेश सिंह द्वारा स्वीकार किया गया कि वर्ष 2004 में समिति द्वारा पदोन्नति हेतु विभागीय समिति का गठन नहीं किया गया था अतः पदोन्नति हेतु शिक्षा संहिता का ज्ञान नहीं होने के कारण त्रुटिवश कनिष्ठ शिक्षक को पदोन्नत किया गया था एवं श्री बी. एल. साहू सहायक शिक्षक को पदोन्नति दिये जाने के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति का गठन जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार किया जा चुका है एवं शीघ्र ही श्री बी. एल. साहू को पदोन्नत किया जायेगा। आयोग द्वारा सचिव विद्युत नगर शिक्षा समिति कोरबा को अविलंब कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तदानुसार समिति ने त्वरित कार्यवाही की एवं विद्युत नगर शिक्षा समिति के आदेश क्रमांक /विनशिस/स्था./को.प./2011/1799 दिनांक 13.04.2011 द्वारा श्री बी.एल. साहू (पि.व.) को दिनांक 13.05.2008 से पदोन्नत कर उच्च वर्ग शिक्षक का वेतनमान प्रदान किया गया।

श्री तोलेन्द्र कुमार बघमार, रायपुर द्वारा छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत की गयी थी कि जिला कार्यालय (वित्त शाखा) रायपुर द्वारा दिनांक 14.01.11 को प्रकाशित विज्ञप्ति में स्टेनो टाईपिस्ट के कुल 11 पद एवं भृत्य के 18 पद इस प्रकार कुल 29 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे जिसमें आरक्षण प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अ.पि.व. हेतु केवल एक-एक पद विज्ञापित किये गये थे आयोग के द्वारा उक्त शिकायत के जांच के संबंध में कलेक्टर (वित्त शाखा) रायपुर को पत्र लिखकर आरक्षण के 100 बिन्दु रोस्टर के पालन के संबंध में निर्देशित किया गया था। आयोग की त्वरित कार्यवाही के उपरांत दिनांक 07.03.11 को पुनः जिला कार्यालय वित्त शाखा, रायपुर द्वारा संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी जिसके आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान के अंतर्गत रिक्त पद संख्या बढ़ायी गयी।

सत्र 2010-11 में विभिन्न विकासखण्डों से प्राप्त शिकायत पत्रों पर कार्यवाही की गयी। प्रमुख शिकायत वेतन अप्राप्त होने एवं अन्य स्वत्व में वित्तीय अनियमितता संबंधी होने के कारण आयोग ने कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षकारों का बयान लिया गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। औचित्यपूर्ण शिकायत पर आयोग द्वारा संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को शिक्षकों के वित्तिय स्वत्व में अनियमितता संबंधी मामलों का निपटारा करने हेतु निर्देशित किया गया। आयोग के पहल से आवेदकों को उनके वित्तिय स्वत्वों का भुगतान प्राप्त हुआ।

परदेशी राम साहू , चौकीदार प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माना, रायपुर के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी कि उनसे कनिष्ठ श्रीमती राधाबाई (चतुर्थ श्रेणी) महिला औद्योगिक संस्थान, दुर्ग को नियमित पद पर पदोन्नति दी गयी एवं उनके साथ अन्याय किया गया। आयोग द्वारा शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए अधिनियम की धारा 10 (ख) के तहत कार्यवाही की गयी। दोनों पक्षकारों के बयान एवं प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में यह पाया गया कि श्री परदेशी राम साहू आकस्मिकता निधि के कर्मचारी थे जिसे त्रुटिवश पदोन्नत किया गया तथा दिनांक 30.08.99 को संचालनालय के द्वारा त्रुटि सुधार करते हुए पदोन्नति आदेश निरस्त किया गया है।

अनुविभागीय/तहसील कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने संबंधी शिकायतें आयोग को प्राप्त होती है जिनका आयोग द्वारा विवेचना के उपरांत यथोचित समाधान करते हुए कार्यवाही की जाती है। संबंधित वर्ष 2010-11 में प्राप्त शिकायतों पर आयोग द्वारा उचित कार्यवाही करते हुए प्रकरण/शिकायत का निराकरण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में स्थापित जातियों के संबंध में शामिल होने की पुष्टि करने बाबत प्राप्त पत्रों का निराकरण भी आयोग द्वारा तत्परता से किया जाता है।

04. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रेषित प्रमुख सुझाव/ अनुशंसाएं एवं भ्रमण व अनुसंधान कार्य

केन्द्र शासन ने आदेश क्र. 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर 2008 में अ.पि.वर्ग की क्रीमीलेयर की सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 4.50 लाख किया गया था जिसके आधार पर छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्र. एफ 9-3/2001/1-3 रायपुर दिनांक 24.06.2009 के माध्यम से क्रीमीलेयर की आय सीमा को 4.50 लाख बढ़ाया गया है।

क्रीमीलेयर के संबंध में निर्धारित मापदण्ड अनुसूची के क्रं. 6 में स्पष्टीकरण (क)में उल्लेखित ''वेतन एवं कृषि भूमि की आय को संयुक्त रुप से नहीं जोड़ा जायेगा'' लिखे होने के कारण अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई हो रही थी एवं वेतनभोगी कर्मचारियों की आय को भी क्रीमीलेयर हेतु परीक्षण कर 4.50 लाख रुपये सीमा से आबाधिक किया जा रहा था। इस समस्या के समाधान हेतु सचिव छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र क्र. 20/स.अ.अ./2011-12 रायपुर दिनांक 20.01.2011 द्वारा मापदण्ड की कंडिका 6 (क) में स्पष्टीकरण को केन्द्र शासन के अनुरुप करने हेतु ''संयुक्त रुप से'' शब्द को हटाये जाने बाबत् सुझाव प्रेषित किया जिसे मान्य करते हुए शासन द्वारा पत्र क्र. 9-3/2001/1-3 रायपुर दिनांक 02.06.2011 द्वारा संयुक्त रुप से शब्द को विलोपित करने बाबत् आदेश प्रसारित किया गया।

सारथी जाति के आवेदकों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। जिसके संबंध में आयोग ने कार्यवाही करते हुए कलेक्टर से अभिमत मांगा गया। एवं आयोग की टीम द्वारा दिनांक 06.12.10 एवं 7.12.10 को अंबिकापुर के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया गया एवं समाज प्रमुखों से चर्चा की गयी।

महासमुन्द जिले के पिथौरा, सरायपाली, बसना विकासखंड, रायगढ़ जिले के पुसौर, सारंगढ़ एवं रायपुर जिले के रायपुर विकासखंड में निवासरत थनापति समाज के आवेदकों द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि उनकी जाति को छ.ग. राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया जाये। इस संबंध में आयोग द्वारा मई 2010 में क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण किया गया। भ्रमण करते हुए आवश्यक कार्यवाही की गयी।

सदलोहार जाति के गोपाल विश्वकर्मा द्वारा आयोग में आवेदन किया गया कि वे लोग जशपुर एवं सरगुजा जिले में निवासरत है जिस पर कार्यवाही करते हुए आयोग की टीम द्वारा जशपुर एवं सरगुजा जिलों का भ्रमण करते हुए कार्यवाही की गयी। इस प्रकार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसंधान दल द्वारा आयोग को प्राप्त आवेदनो के संदर्भ में प्राथमिक स्तर की प्रक्रिया उपरांत संबंधित क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण करके ही यह कार्य किया जाता है।

भाग-8

01. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बजट

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय 4 की धारा 13 (1) के लेखा तथा संपरीक्षा के अंतर्गत आयोग अपना समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

वर्ष 2010-11 में प्राप्त अनुदान राशि में से 35,18,661/- रु. (अक्षरी में पैंतीस लाख, अट्ठारह हजार, छैः सौ, इक्सठ रुपये) निम्नानुसार मद में व्यय किये गये है जिसका व्यय विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
01.	कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं दैनिक मजदूरी	19,16,548.00
02.	डाक तार व्यय	5,000.00
03.	दूरभाष	18,262.00
04.	पुस्तक एवं पत्रिकाएं, प्रचार-प्रसार	6,73,272.00
05.	बिजली एवं जल प्रभार	21,256.00
06.	स्टेशनरी व्यय	31,322.00
07.	अन्य आकस्मिक व्यय	14,291.00
08.	पेट्रोल एवं वाहन किराया	1,36,051.00
09.	कार्यालय किराया महसूल कर	1,37,085.00
10.	कार्यालय व्यय	83,350.00
11.	मशीन उपकरण	25,774.00
12.	लघु निर्माण कार्य	58,950.00
13.	वार्षिक प्रतिवेदन	3,97,500.00
	कुल योग राशि	35,18,661.00

02. राष्ट्रीय विविध राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पता एवं दूरभाष नम्बर

राज्य के संभाग प्रमुखों के दूरभाष न.

क्र.	अधिकारी का नाम	संभाग	एसटीडी कोड	कार्यालय	निवास
1.	श्री मनोहर पाण्डेय	रायपुर	0771	2536660	2880524
2.	श्री आर.पी. जैन	बिलासपुर	07752	220564	220561
3.	श्री एम.एस. पैकरा	सरगुजा	07774	241401	222600
4.	श्री के.श्रीनिवासुलू	बस्तर	07782	228119	228119

राज्य के जिला प्रमुखों के दूरभाष न.

क्र.	जिलों के नाम	एस.टी.डी. कोड	कलेक्टर	पुलिस अधीक्षक	मु.का.प. अधि.जि.पं.	सहा.आयुक्त
1.	रायपुर	0771	2426024	4240304	2426739	2426831
2.	धमतरी	07722	237592	238262	232501	232142
3.	महासमुंद	07723	222540	223500	223834	223912
4.	दुर्ग	0788	2322655	2322071	2210536	2323655
5.	राजनांदगांव	07744	226236	226399	224060	225158
6.	कबीरधाम	07741	232134	232375	232895	233158
7.	बिलासपुर	07752	223344	223330	223993	225545
8.	जशपुर	07763	223226	223240	223633	223657
9.	रायगढ़	07762	222103	223333	222032	222158
10.	जांजगीर-चांपा	07817	222208	222153	222996	286519
11.	सरगुजा	07774	220701	220604	220679	222707
12.	कोरबा	07759	222886	224500	224300	226543
13.	कोरिया	07836	232721	232223	232885	232859
14.	बस्तर	07782	222693	222336	222428	222520
15.	दन्तेवाड़ा	07856	252455	252224	252522	252441
16.	कांकेर	07868	241222	222059	241282	241831
17.	नारायणपुर	07781	252216	252255	200025	252881
18.	बीजापुर	07853	220022	220392	220395	220348

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं विभाग से संबंधित आयोगों के प्रमुख दूरभाष न.

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कक्ष क्रमांक	पी.बी. एक्स	कार्यालय दूरभाष	निवास दूरभाष/मो.	निवास स्थान का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मा. श्री केदार कश्यप विभागीय मंत्री	106	906	4080906 2221106	2331032 2331033	सी-3, फॉरेस्ट कालोनी, राजातालाब,रायपुर
मा. श्री महेश गागड़ा विभागीय संसदीय सचिव	350	350	4025526	4042205	डी-7, शंकर नगर, रायपुर
श्री मनोजकुमार पिंगुआ विभागीय सचिव	202	202	4268362 2221202	2583949	ई -2/39 आफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर, रायपुर
श्री एम.एस. परस्ते विभागीय आयुक्त तथा संचालक	-	-	2263708	2442866 -	बाटल हाऊस के पास, शंकर नगर,रायपुर
श्री एल.के. गुप्ता विभागीय अपर संचालक	-	-	2263778	94255-75020	-
श्री डी.डी. कुंजाम विभागीय अपर संचालक	-	-	2263099	94061-70774	-
श्रीमती शारदा वर्मा विभागीय अपर संचालक	-	-	2263714	94255-36384	-
श्रीमती दीप्ति बेनर्जी विभागीय उपायुक्त	-	-	2263188	94060-16590	-
श्री डी.एस. धुर्वे विभागीय उपायुक्त	-	-	2263713	90987-64079	-
श्री एन.आर. साहू विभागीय उपायुक्त	-	-	2262589	94255-03574	-
श्री एल. के. मिश्रा संयुक्त संचालक (टी.आर.आई.)	-	-	2262606	93003-71686	-
डॉ. अनिल चौधरी विभागीय उप सचिव	707	138	4080707	94255-84660	-
श्री एल.आर. कुर्रे सदस्य सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	-	-	2420352	94242-80608	-
श्री एच.के. सिंह उइके सदस्य सचिव, अनुसूचित जाति आयोग	-	-	2422747	94242-16008	-
श्री ब्रदीश सुखदेवे सदस्य सचिव जनजाति आयोग	-	-	2445621	94242-80691	-
श्री एम.आर. खान सदस्य सचिव अल्पसंख्यक आयोग	-	-	2445621	-	-

Address & Phone Numbers of CP of State BCs/Sec-in-charge of SW of States/ UTs

01.	Andhra Pradesh	Justice Dalava Subramanyam Chairman Andhra Pradesh Commission for Backward Classes 8th Floor, Chandra Vihar M.J. Road, Hyderabad- 500 001	040-24742595 040-23417576 040-24605679
		Shri T. Sathyanarayana Rao Secretary BC Welfare Department AP Secretariat, Hyderabad	040-23453638 040-23452025
02.	Assam	Justice Haque Chairman Assam Backward Classes Commision Sujata Apartments Christian Basti Guwahati- 781 005	0361-2341026 0361-2523090
		Shri J.P. Meena, IAS Commissioner & Secretary Welfare of plain Tribes & BCs Dispur, Guwahati- 781 006	0361-2262670
03.	Bihar	Justice Dharampal Sinha Chairman State Commission for Backward Classes 12/A, Jawahar Lal Nehru Marg, Bihar Patna- 800 001	0612-2235276 0612-2234441 0612-2202710 (F)
		Shri Secretary Department of Social Welfare Government of Bihar, Patna	
04.	Chhattisgarh	Shri Chairman State Commission for Backward Classes Behind Collectorate Raipur, Chhattisgarh	0771-2420341 0771-2420352
05.	NCT Of Delhi	Shri Chattar Singh Chairman Commission for OBCs Govt. of NCT of Delhi 5th Floor, Vikas Minar, ITO New Delhi.	011-23379182

		Shri G.P. Sewalia Secretary (OBC Welfare) Govt. of NCT of Delhi Vikash Minar, 5th Floor IP Estate New Delhi-110 002	011-23370980 011-23379598 (F) 011-23379513
06.	Goa	Shri Babu S. Gaonkar Chairman Goa State Backward Classes Commission Govt. of Goa Flat No. D-13-A, Govt. Quarters Opp. Happy Kids Nursery & Primary School St. Inez, Panaji Goa	0832-2220827 0832-2228067 0832-2419603 (F)
		Shri Secretary Department of OBC Welfare Government of Goa Panji, Goa	0832-
07.	Gujarat	Justice Suganya Ben K. Bhatt Chairperson Gujarat State Backward Classes Commission Bangalow No. KH-228/A, Sector-19, Gandhi Nagar, Gujarat	079-23256666
		Shri J.S. Rana Principal Secretary Department of Social Welfare Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar, Gujarat	079-23251207
08.	Haryana	Shri Satvir Verma Chairperson Haryana State Commission for Backward Classes SCO No. 62-3, Sector 17-A Chandigarh- 160 017	
		Shri Dalip Singh Secretary Department of Social Welfare Govt. of Haryana New Haryana Civil Secretariat 603, 6th Floor, Sector-17 Chandigarh - 160 017	
09.	Himachal Pradesh	Shri K.C. Sood Chairperson HP State Commission for Backward Classes SDA Commercial Complex, Block No. 38, 3rd Floor, Kasumpti Shimla - 171 009	0177-2622935

		Shri Goyal JS (OBC) Govt of Himachal Pradesh, Secretariat Shimla - 171 009	
10.	Jammu & Kashmir	Justice B.L. Bhat Chairperson State Commission for BCs Govt. of Jammu & Kashmir Abi Guzar, Lal Chowk Srinager	0194-2483241 0194-2483240 (F)
		Dr. R.K. Jerath Principal Secretary Department of Social Welfare Govt. of Jammu & Kashmir, Civil Secretariat, Srinagar	0194-2452271 0194-2482568 09419000652
11.	Jharkhand	Justice Loknath Prasad Chairman Jharkhand State Commission for Backward Classes E-10, Sector II, HEC Dhurwa, Ranchi - 834 004 Jharkhand	0621-2242223
		Shri Secretary Department of Social Welfare Govt. of Jharkhand, Secretariat Ranchi	
12.	Karnataka	Dr. C.S. Dwarkanath Chairperson Karnataka State Backward Classes Commission No. 332, 2nd Floor Darus Salam Complex Queen's Road Bengalooru - 560 052	080-22202814 080-22268571 (F) 09448232097
		Shri R.B. Agawane Principal Secretary Department of Social Welfare Govt. of Karnataka Vikas Saudha Bangalooru	080-22034561 080-22034567 080-22254820 (F)
13.	Madhya Pradesh	Shri Babulal Kushwah Chairman Madhya Pradesh Backward Classes Commission 35, 1st Floor, Rajeev Bhawan (Opp. Doordarshan Kendra) Bhopal, Madhya Pradesh	0755-2660637 0755-2660639 (F)

		Shri Secretary, OBC Welfare Govt. of Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal	
14.	Maharashtra	Justice S.N. Khatri Chairperson Maharashtra State Commission for Backward Classes 29/2, Somvar Pet Pune - 411 011 Maharashtra	020-27297435
		Shri Principal Secretary Department of Social Welfare Govt. of Maharashtra Mumbai	
15.	Orissa	Justice J.M. Mahapatra Chairperson Orissa State Commission for Backward Classes A/4, Unit-5 Bhubaneshwar	0674-2391791
		Shri Secretary Department of Social Welfare Govt. of Orissa, Bhubaneshwar	
16.	Punjab	Smt. Satwant Reddy Chairperson Punjab State Backward Classes Commission 548, Sector- 33/B Chandigarh	0172-2605290 0172-2602912 (F)
		Shri Secretary Department of Social Welfare Govt. of Punjab Chandigarh	
17.	Rajasthan	Justice Chairman Rajasthan State Backward Classes Commission 5, Gaurav Nagar, Civil Lines Jaipur, Rajasthan	
		Shri Principal Secretary Department of Social Welfare & TAD Govt. of Rajasthan, Secretariat Jaipur- 302 005	

18.	Sikkim	Shri M.B. Dahal Chairpeson Sikkim Commission for Backward Classes Govt. of Sikkim, Lower Secretariat Gangtok	0352-203993 03592-204323 (F)
		Shri Veenakanti Pradhan Joint Secretary Govt. of Sikkim, Gangtok	
19.	Tamil Nadu	Justice M.S. Janardhanam Chairman Tamil Nadu State Backward Classes Commission 212, R.K. Mutt Road Mylapore, Chennai 600 004	044-24935453
		Shri N. Vasudevan Secretary (BC/MBC/MW) Department Secretariat Chennai 600 009	044-25670848 044-25670756 (F)
20.	Puducherry	Justice Chairman Puducherry State Leval BC Commission Venkatanagar Extension 45 Feet Road, Vellalar Street Puducherry	0413-2212428 0413-2212108 (F)
		Shri T.N. Balakrishnan Secretary Department of Social Welfare Chief Secretariat Goubert Avenue Puducherry-1	
21.	Uttar Pradesh	Shri Parasnath Maurya Chairman Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes 3rd Floor, Indira Bhawan, Ashok Marg Lucknow	0522-2287243 0522-2287215 (F) 09415483815
		Shri Principal Secretary Department of Social Welfare Govt. of Uttar Pradesh Secretariat Lucknow	0522-
22.	Uttarakhand	Shri Tejpal Singh Panwar Chairperson Uttarakhand State Backward Classes Commission 21/23, East Canal Road Dehradun Uttarakhand.	Mo. 1352651575

		Shri Principal Secretary Department of Social Welfare Government of Uttarakhand Dehradun	
23.	West Bengal	Justice Malay Sengupta Chairperson West Bengal Commission for Backward Classes Tantuja Bhawan 18/4, DD Block, Sector-I, Salt Lake City Kolkata- 700 064 Shri R.D. Meena Principal Secretary BC Welfare Department Writers Building Kolkata- 700 001	033- 23379634 09434087322 033-23379635 (F)
24.	Tripura	Shri Motilal Sarkar, MP Chairperson Tripura State OBC Commission Airport Road Opposite Radha Nagar Bus Stand Agartala - 799 001 Shri Secretary, Department of Social Welfare Govt. of Tripura Agartala	
25.	A&N Islands	Justice S.S. Ganguli Chairperson A&N Commission for Tribal & OBC Welfare Secretariat Complex Port Blair A&N Islands	
26.	Daman & Diu	Justice M.B. Godeswar Chairperson OBC Commission for Daman, Diu, Dadra, NH Daman - 396 220	

मान. डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
छ.ग. शासन

मान. केदार कश्यप
मंत्री
आ.जा. तथा अ.जा., पिछड़ा वर्ग एवं
अल्पसंख्यक विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छ.ग. शासन

मान. महेश गागड़ा
संसदीय सचिव
आ.जा. तथा अ.जा., पिछड़ा वर्ग एवं
अल्पसंख्यक विकास एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छ.ग. शासन

छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

21–सी, रविनगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर (छ.ग.) फोन/फैक्स : 0771–2420352